[2018] 11 एस. सी. आर 951

रोमिला थापर और ओआरएस।

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2018 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 260)

सितंबर 28,2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए. एम. खानविलकर और

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. जे.]

भारत का संविधान-Art.32-पांच व्यक्तियों द्वारा दायर लिखित याचिका, पांच कार्यकर्ताओं के अगले सबसे अच्छे दोस्त के रूप में-आरोपी जिन्हें प्राथमिकी संख्या 4/18 के संबंध में कथित रूप से गिरफ्तार किया गया था-कहा गया कि एल्गार परिषद नामक संगठन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के परिणामस्वरूप भीमा कोरेगांव में हुई सांप्रदायिक हिंसा के संबंध में पुणे में दर्ज प्राथमिकी-याचिकाकर्ताओं की याचिका कि न तो पांच आरोपी व्यक्ति उक्त कार्यक्रम में मौजूद थे और न ही उनके खिलाफ कोई आरोप प्राथमिकी में पाया गया है और यह कि उक्त प्राथमिकी पुणे पुलिस द्वारा कुछ हिंदुत्व दक्षिणपंथी नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी संख्या 2/18 दर्ज किए जाने के बाद गढ़ी गई थी, एक चश्मदीद गवाह के खाते के आधार पर कि उन्होंने भीमा कोरेगांव में दलित सभा के खिलाफ हिंसा को उकसाया था-याचिकाकर्ताओं ने अन्य बातों के साथ-साथ विशेष जांच दल (एसआईटी) नियुक्त करने की प्रार्थना की। (बहुमत का दृष्टिकोण) प्रति - ए. एम. खानविलकर, जे. (अपने और दीपक मिश्रा, सीजेआई के लिए) अभियुक्त व्यक्ति यह नहीं चुन सकते कि किस जाँच एजेंसी को उनके द्वारा किए गए अपराध की जाँच करनी चाहिए-वर्तमान गिरफ्तारी का मामला केवल व्यक्त किए गए असहमतिपूर्ण विचारों या नामित अभियुक्त की राजनीतिक विचारधारा में अंतर के कारण नहीं है, बल्कि प्रतिबंधित संगठन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) और इसकी गतिविधियों के सदस्यों के साथ उनके संबंधों के बारे में है-अपराध की जाँच चल रही है।

एफ. आई. आर. सं. 4/2018, अन्य बातों के साथ-साथ इन आरोपों की जांच करना है कि एक प्रतिबंधित संगठन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), विभिन्न वर्गों में दुर्भावना का प्रचार करने और उन्हें हिंसक गतिविधियों में बदलने के लिए एफ. आई. आर. सं. 2/2018 में उल्लिखित कार्यक्रमों का आयोजन करता है-भीमा कोरेगांव जैसी घटनाएं ऐसी साजिश का परिणाम हैं-राहत का दावा नहीं किया गया है-(अल्पसंख्यक दृष्टिकोण) डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. (असहमति) वर्तमान मामले में, यू/आर्ट की कार्यवाही की शुरुआत। 32 बाहरी कारणों से प्रेरित नहीं है कास्टिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एजेंसी का उपयोग करने में पुणे पुलिस

जिन व्यक्तियों के आचरण की अभी भी जांच चल रही है, उन पर आक्षेप एक निष्पक्ष जांच की आवश्यकता को मजबूत करते हैं-एक स्वतंत्र जांच की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अदालत के समक्ष पर्याप्त सामग्री रखी गई है-असहमति जीवंत लोकतंत्र का प्रतीक है-विपक्ष में आवाज को उन लोगों को प्रताड़ित करके नहीं दबाया जा सकता है जो अलोकप्रिय कारणों को उठाते हैं-वर्तमान एस. आई. टी.-एस. आई. टी. की नियुक्ति के लिए एक उचित मामला है जिसे नियुक्त किया जाना है-जांच की निगरानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी-गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967-भारत का संविधान-कला। 21 और 22 (1)।

भारत का संविधान-Art.32-के लिए जनहित याचिका लोकस-आयोजितः ए. एम. खानविलकर, जे. (अपने और दीपक मिश्रा, सीजेआई के लिए) के अनुसार जांच एजेंसी को बदलने की प्रार्थना को हल्के में नहीं लिया जा सकता है और अदालत को उस शक्ति का प्रयोग सावधानी के साथ करना चाहिए-जांच को स्वतंत्र जांच एजेंसी को स्थानांतरित करने या अदालत की निगरानी में जांच के लिए आरोपी के अगले दोस्त के कहने पर लिखित याचिका दायर नहीं की जा सकती है।

जनहित याचिका के रूप में बहुत कम-डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ के अनुसार, जे. (असहमति) जब नागरिकों के एक समूह ने मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में एक भावपूर्ण याचिका के साथ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है, तो न्यायालय को मामले के केंद्र में स्थान से परे देखना चाहिए।

भारत का संविधान Art.32 के तहत याचिका लिखें

आपराधिक मामलों में रखरखाव-आयोजितः डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. के अनुसार, आम तौर पर, जब किसी आपराधिक अपराध की जांच चल रही हो, तो निम्नलिखित प्रावधानों का सहारा लिया जाना चाहिएः संहिता-हालांकि, वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं ने दंड प्रक्रिया संहिता के तहत सक्षम अदालत के समक्ष उपलब्ध उपचार का समर्थन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का सहारा नहीं लिया है-वर्तमान कार्यवाही को एक विशिष्ट शिकायत के साथ स्थानांतरित किया गया है कि पांच व्यक्तियों की गिरफ्तारी राज्य द्वारा असहमति को दबाने का एक प्रयास है-एक संवैधानिक न्यायनिर्णायक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद के तहत अधिकार क्षेत्र सौंपा गया है। 32 संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक स्वतंत्रताओं को सुरक्षित करना मौलिक स्वतंत्रताओं का संरक्षण एक विषय है

लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों का अभिन्न अंग है कि तकनीकीताओं को मूल न्याय के कारण पर हावी होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

भारत का संविधान-Art.32-जनहित याचिका विशेष जांच दल (एस. आई. टी.) का गठन-सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार-आयोजितः डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ के अनुसार, जे. इंस्टैंस रोमिला थापर और ओआरएस।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

सर्वोच्च न्यायालय ने एस. आई. टी. एस. के गठन का आदेश दिया है-जबकि न्यायालय जांच के पाठ्यक्रम को निर्धारित नहीं करता है, यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है कि एक निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच हो।

आपराधिक मुकदमा-जांच लंबित-पुलिस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग-अभ्यास आयोजितः डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. के अनुसार राज्य की जांच शाखा द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग जांच के लंबित रहने के दौरान जनता की राय को प्रभावित करने के लिए जांच की निष्पक्षता को कम करता है-पुलिस नहीं है

न्यायनिर्णायक न तो अपराध की घोषणा करते हैं और न ही करते हैं।

रिट याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः ए. एम. खानविलकर, जे. के अनुसार (अपने और अपने लिए)

दीपक मिश्रा, सीजेआई)

1.1 जाँच एजेंसी की नियुक्ति के मामले में अभियुक्त व्यक्तियों की कोई भूमिका नहीं है। इसके अलावा, आरोपी

व्यक्ति यह नहीं चुन सकते कि कौन सी जाँच एजेंसी को करना चाहिए

उनके द्वारा किए गए अपराध की जाँच करें। वर्तमान मामले में, पांच नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के तरीके पर सवाल उठाने के लिए कुछ परिस्थितियों की ओर इशारा करने के अलावा, बिना किसी कानूनी सबूत के उन्हें जांच के तहत अपराध से जोड़ने के लिए, याचिका में दुर्भावना के बारे में कोई विशिष्ट भौतिक तथ्य और विवरण नहीं पाए गए हैं।

जाँच अधिकारी द्वारा शक्ति का प्रयोग। एक अस्पष्ट और

जाँच, यह स्पष्ट है कि वर्तमान केवल व्यक्त किए गए असहमतिपूर्ण विचारों या नामित अभियुक्त की राजनीतिक विचारधारा में मतभेद के कारण गिरफ्तारी का मामला नहीं है, बल्कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), एक प्रतिबंधित संगठन और इसकी गतिविधियों के सदस्यों के साथ उनके संबंधों के बारे में है। यह वह चरण नहीं है जहाँ सामग्री की प्रभावकारिता या उसकी पर्याप्तता का मूल्यांकन किया जा सकता है।

न ही यह पूछताछ करना संभव है कि क्या यह वास्तविक है या मनगढ़ंत है। [पारस 14,21 और 26] [985-डी-एफ]

1.2 उच्चतम न्यायालय का सुसंगत दृष्टिकोण यह है कि अभियुक्त जांच एजेंसी को बदलने या ऐसा करने के लिए नहीं कह सकता है न्यायालय की निगरानी [2018] 11 एस. सी. आर. सहित एक विशेष तरीके से जांच।

जांच पड़ताल की। वर्तमान मामले में, मूल रिट याचिका उन व्यक्तियों द्वारा दायर की गई थी जो अगले मित्र होने का दावा करते हैं। संबंधित अभियुक्त (ए 16 से ए 20)। इनमें से (ए 19), (ए 16),

(ए 18) और (ए 17) ने हस्ताक्षरित बयान दायर कर प्रार्थना की है कि विषय रिट याचिका में दावा की गई राहत को उनकी रिट याचिका के रूप में माना जाए। उस आवेदन को अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभियुक्तों ने स्वयं सर्वोच्च न्यायालय का रुख करने का विकल्प चुना है और राज्य द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति की पृष्ठभूमि में भी कि रिट याचिकाकर्ता जांच के तहत अपराध के लिए पूरी तरह से अजनबी थे और उनके कहने पर रिट याचिका नहीं थी बनाए रखने योग्य। इसलिए, यह माना जाता है कि रिट याचिका अब स्वयं अभियुक्त द्वारा अपनाई जाती है और एक बार जब वे स्वयं याचिकाकर्ता बन जाते हैं, तो उनके कारण का समर्थन करने के लिए उपचार का पीछा करने वाले अगले मित्र के सवाल को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अगला मित्र तब तक प्रभावित अभियुक्त का समर्थन करना जारी रख सकता है जब तक कि संबंधित अभियुक्त किसी स्थिति में नहीं है या कानूनी उपचार का सहारा लेने में असमर्थ है और अन्यथा नहीं। [पैरा 27] [986-ए-सी]

1.3 प्रार्थना खंड (i) और (ii) 2 तारीख को पिम्परी (शहरी) पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी संख्या 2/2018 का भी संदर्भ देते हैं।

गवाह। न तो रिट याचिकाकर्ता और न ही उस अर्थ में एफ. आई. आर. संख्या 4/2018 में नामित अभियुक्त, एफ. आई. आर. संख्या 2/2018 के संबंध में राहत का पीछा कर सकते हैं। मान लीजिए कि जांच एजेंसी को निर्देश जारी करने के लिए शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं प्राथमिकी संख्या 2/2/2018 में बॉम्बे उच्च न्यायालय में आपराधिक रिट याचिका दायर की जा चुकी है। उस अपराध में। राज्य के तर्क में बल है कि एफ. आई. आर. संख्या 4/2018 में जांच के तहत अपराध, अन्य बातों के साथ-साथ इन आरोपों की जांच करना है कि एक प्रतिबंधित संगठन, सी. पी. आई. (माओवादी), विभिन्न वर्गों में दुर्भावना का प्रचार करने के लिए एफ. आई. आर. संख्या 2/2018 में संदर्भित कार्यक्रमों का आयोजन करता है और उन्हें अलग-अलग वर्गों में बदल देता है।

असंवैधानिक और हिंसक गतिविधियाँ। इसके अलावा, ऐसी गतिविधियों को कथित तौर पर कबीर कला मंच और अन्य लोगों द्वारा महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में किया गया था। अपमानजनक भाषण देना और झूठा इतिहास फैलाना, विवादास्पद रोमिला थापर और ओआरएस।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

8 जनवरी, 2018 को स्टेशन (पुणे शहर) या उनके अगले दोस्त। एक दुर्भाग्य से, यह होना चाहिए कि रिट याचिकाकर्ताओं, जो जांच के तहत अपराध के लिए अजनबी हैं (एफ. आई. आर. संख्या 4/2018 में); और चूंकि वे केवल गिरफ्तार किए गए पांच अभियुक्तों के कारण को अपने अगले दोस्त के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए उन्हें राहत मांगने के लिए नहीं सुना जा सकता है जो अन्यथा स्वयं अभियुक्त को नहीं दी जा सकती है। जो सीधे नहीं किया जा सकता है, उसे जनहित याचिका की आड़ में भी अप्रत्यक्ष रूप से करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। [पारस 28,29] [986-ई-एच; 987-ए-डी]

1.4 जाँच एजेंसी को बदलने की प्रार्थना को हल्के में नहीं लिया जा सकता है और न्यायालय को उस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए

परिवीक्षण। नतीजतन, स्वतंत्र जांच एजेंसी या अदालत की निगरानी में जांच के लिए जांच के हस्तांतरण के लिए आरोपी के अगले दोस्त के कहने पर रिट याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, बहुत कम सार्वजनिक रूप से ब्याज मुकदमेबाजी। विचाराधीन अपराध की जांच एक प्रारंभिक चरण में है और इसलिए, आगे विस्तार से बताना वांछनीय नहीं है क्योंकि संशोधित राहत (i) और (ii) जैसा कि अनुरोध किया गया है, प्रदान नहीं किया जा सकता है। [पैरा 30,31] [986-ई-एच; 987-ए-डी]

1.5 रिट याचिका में तीसरी संशोधित राहत का दावा किया गया है

निर्देश जारी करें कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति/अभियुक्त से कथित रूप से जब्त किए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, अभिलेखों और सामग्रियों की महाराष्ट्र राज्य के बाहर फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा जांच की जाए ताकि निष्पक्षता और न्याय के हित में सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रार्थना को भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। यदि बाईस नामित अभियुक्तों में से किसी एक को इसके बारे में कोई शिकायत या आशंका है, तो वह अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय के समक्ष वह अनुरोध करने के लिए स्वतंत्र है, जिस पर कानून के अनुसार उचित स्तर पर विचार किया जा सकता है। [पैरा 32] [988-ए-बी] [2018] 11 एस. सी. आर.

1.6 चौथी संशोधित राहत कानून के अनुसार गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को हिरासत से रिहा करने का निर्देश देना है। अभियुक्त व्यक्ति

1.7 तदनुसार, इस रिट याचिका का निपटारा संबंधित अभियुक्त को उचित उपचार का सहारा लेने की स्वतंत्रता के साथ किया जाता है। जो कानून में अनुज्ञेय हो। 29 अगस्त, 2018 को इस अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेश (पांच गिरफ्तार व्यक्तियों को नजरबंद रखने का निर्देश) चार सप्ताह की अवधि के लिए जारी रहेगा ताकि आरोपी संबंधित अदालत का रुख कर सकें। उक्त कार्यवाहियों का निर्णय इस निर्णय में किए गए किसी भी अवलोकन से अप्रभावित अपने गुण-दोष पर किया जाएगा, जो जांच को एक स्वतंत्र जांच एजेंसी और/या अदालत की निगरानी वाली जांच को स्थानांतरित करने के लिए रिट याचिका में दावा की गई राहत तक सीमित है। जाँच अधिकारी कानून के अनुसार संबंधित अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। [पैरा 37] [989-बी-सी]

पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य। बनाम लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा समिति, पश्चिम बंगाल और अन्य। (2010) 3 एससीसी 571: [2010] 2 एस. सी. आर. 979-अनुसरण किया गया।

नर्मदा बाई बनाम गुजरात राज्य और अन्य। (2011) 5 एससीसी 79: [2011] 5 एस. सी. आर. 729; संजीव राजेंद्र भट्ट बनाम भारत संघ और अन्य। (2016) 1 एससीसी 1: [2015]

12 एस. सी. आर. 498-निर्भर।

ई. शिवकुमार बनाम भारत संघ और अन्य। (2018) 7 एस. सी. सी. 365; डिवाइन रिट्रीट सेंटर बनाम केरल राज्य और अन्य। (2008) 3 एससीसी 542: [2008] 4 एस. सी. आर. 701-संदर्भित।

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे. : (असहमति)

पकड़नाः 1.1 अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र किसी भी रूप में और किसी भी स्रोत से उत्पन्न होने वाले अन्याय तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। मानव स्वतंत्रता और गरिमा को सुरक्षित करना एक महत्वपूर्ण रोमिला थापर और ओआरएस होना चाहिए।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

एक संवैधानिक न्यायनिर्णायक के रूप में ऐसी कोई तकनीकीता नहीं होनी चाहिए जो न्याय के उद्देश्य में बाधा उत्पन्न करती हो। जब नागरिकों के एक समूह ने मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में एक भावपूर्ण याचिका के साथ इस न्यायालय का रुख किया है-वर्तमान मामले में राष्ट्र की सेवा का ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाले कम से कम पांच प्रतिष्ठित नागरिकों ने ऐसा किया है-तो न्यायालय को मामले के केंद्र में स्थान से परे देखना चाहिए। शिकायत में कोई सार है या नहीं, यह वास्तव में एक अलग बात है। जो वस्तुनिष्ठ रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए। न्यायालय प्रत्येक मामले में केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं करेगा क्योंकि उसका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच, आकलन और उपचार करना इसका कर्तव्य है। हालांकि, तकनीकी मायने में भी लोकस का मुद्दा पीछे हट गया है। इस दौरान

सुनवाई के दौरान, न्यायालय को अवगत कराया गया है कि गिरफ्तार किए गए पांच व्यक्तियों में से प्रत्येक ने याचिका में दिए गए कथनों को स्वीकार कर लिया है और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इस न्यायालय के समक्ष जो आग्रह किया गया है, वह उसके साथ खड़ा रहेगा। आपत्ति यह है कि मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, रखरखाव में सार का अभाव है। [पैरा 5] [993-ए-डी]

1.2 इन कार्यवाहियों पर विचार करते समय, यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि आम तौर पर, जब किसी आपराधिक अपराध की जांच चल रही होती है, तो दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा अधिकार और उपचार प्रदान किए जाते हैं। इसलिए, यह केवल साधारण कानून है कि इस अवधि के दौरान संबंधित या उत्पन्न होने वाले मामलों में

रिमांड, जमानत (अग्रिम जमानत सहित) और कार्यवाही को रद्द करने जैसी जांच, संहिता के प्रावधानों का सहारा लिया जाना चाहिए। जाँच के दौरान, यह सक्षम अदालत के पास है कि एक अभियुक्त को आम तौर पर उन उपायों के लिए जाना चाहिए जो आपराधिक कानून के मूल या प्रक्रियात्मक प्रावधानों के तहत उपलब्ध हैं। लेकिन वर्तमान मामले में, न्यायालय के लिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अनुच्छेद 32 के तहत अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र का सहारा न केवल याचिकाकर्ताओं द्वारा बल्कि उन पांच व्यक्तियों द्वारा लिया गया है जिन्हें 28 अगस्त 2018 को गिरफ्तार किया गया था। यह याचिका 29 अगस्त 2018 को इस अदालत के समक्ष दायर की गई थी जब एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था जिसमें निर्देश दिया गया था कि गिरफ्तार किए गए पांच लोगों को घर के अंदर रखा जाए। गिरफ्तारी। जल्द से जल्द संभव समय पर, इन पाँच व्यक्तियों ने इस न्यायालय का रुख करते हुए संकेत दिया है कि वे कथन [2018] 11 एस. सी. आर. का पालन करते हैं।

यह न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता के तहत सक्षम न्यायालय के समक्ष उपलब्ध उपचार का समर्थन करने के लिए है। ये कार्यवाही को एक विशिष्ट शिकायत के साथ आगे बढ़ाया गया है कि पाँच व्यक्तियों की गिरफ्तारी राज्य द्वारा असहमति को दबाने का एक प्रयास है और उनमें से प्रत्येक को उत्पीड़न के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है।

मानवाधिकारों के उल्लंघन के अधीन व्यक्तियों का रक्षक। [पैरा 14,15] [1001-D-E; 1002-C-G]

1.3 उच्चतम न्यायालय, एक संवैधानिक न्यायनिर्णायक के रूप में, अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए सौंपा गया है

संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत मौलिक स्वतंत्रताएँ। जबकि आपराधिक प्रक्रिया के कानून के अनुशासन को हर समय ध्यान में रखा जाना चाहिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि मौलिक स्वतंत्रताओं का संरक्षण लोकतांत्रिक के लिए इतना अभिन्न विषय है

जैसा कि अदालत ने बार-बार जोर दिया है, जनहित याचिका को राजनीतिक मामलों को निपटाने या बाहरी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक हथियार नहीं बनना चाहिए। वर्तमान मामले में, अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही की शुरुआत बाहरी कारणों से प्रेरित नहीं है। कारणों से। कानून सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक स्थिति का सम्मान नहीं करता है और न्याय तक पहुंच की मांग करने वाले प्रत्येक वादी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। यहाँ पाँच नागरिकों ने असाधारण परिस्थितियों में इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया है जहाँ वे दावा करते हैं कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के एक समूह को राज्य पुलिस द्वारा निशाना बनाया गया है। उन पाँच व्यक्तियों में से प्रत्येक इन कार्यवाही में शामिल हो गया है। पिछले दशक के दौरान, इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अनुच्छेद 32 के तहत आदेश देने के लिए विकसित हुआ है

एस. आई. टी. का गठन। इस तरह के उदाहरण उस व्यवस्था की विविधता को दर्शाते हैं जिसमें इस न्यायालय ने एस. आई. टी. एस. के गठन का आदेश दिया है। इस अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में निर्णायक लचीलापन उन आवश्यकताओं को पूरा करता है जो अप्रत्याशित स्थितियों में उत्पन्न होती हैं, जो अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय के हस्तक्षेप की गारंटी देती हैं। जबकि न्यायालय जाँच के पाठ्यक्रम को निर्धारित नहीं करता है, यह एक रोमिला थापर और ओआरएस के रूप में कार्य करता है।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच हो। कानून के शासन के संरक्षण और स्वतंत्रता के अंतिम विश्लेषण के लिए एक निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच महत्वपूर्ण है। एस. आई. टी. के गठन का आदेश देने के अधिकार क्षेत्र के अलावा, इस न्यायालय की कार्यवाही ऐसे उदाहरणों से भरी हुई है जहां इस न्यायालय के अधिकार के तहत जांच की निगरानी की गई है। विषय पर उदाहरणों के मुख्य भाग के साथ,

राहत के लिए एक प्रार्थना की स्थिरता, यह मांग करते हुए कि जांच या तो इस न्यायालय द्वारा निगरानी की जानी चाहिए या इस न्यायालय के निर्देशों के तहत एक स्वतंत्र एस. आई. टी. को सौंपी जानी चाहिए, संदेह में रहें। [पैरा 17,18,20 और 21] [1003-एच; 1004-ए-ई; 1005 ए-बी; 1006-डी-ई]

1.4 29 अगस्त 2018 को, इस न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य और अन्य लोगों को प्रतिवादी के रूप में नोटिस जारी किए।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लेकर इस न्यायालय का अंतरिम आदेश। 31 अगस्त 2018 को एडीजी (कानून और व्यवस्था) के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक टीम ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। महाराष्ट्र। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्र

(जिनमें से कई को केस डायरी का हिस्सा बनना चाहिए) को चुनिंदा रूप से प्रदर्शित किया गया और पढ़ा गया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार उन्हें मीडिया में भी लीक कर दिया गया था। [पैरा 22] [1006-जी-एच; 1007-ए-सी]

1.5 वर्तमान मामले में गिरफ्तारी का पहला दौर हुआ

6 जून 2018 को। 8 जून 2018 को पुलिस द्वारा सक्षम अदालत (जून की गिरफ्तारी में) के समक्ष रिमांड की कार्यवाही से कुछ समय पहले मीडिया को एक कथित पत्र जारी किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति प्रधानमंत्री पर हमला करने की साजिश रच रहे थे

मंत्री। 4 जुलाई 2018 को जब गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को पुणे में अदालत के समक्ष पेश किया जाना था, तो एक 'एस. बी.' के लिए जिम्मेदार एक पत्र को एक टेलीविजन चैनल पर सनसनीखेज रूप से प्रसारित किया गया था, जिसमें उसे कुछ समूहों की गैरकानूनी गतिविधियों से जोड़ा गया था। गंभीर है। इस तथ्य के बारे में शिकायत की गई है कि इन पत्रों में [2018] 11 एस. सी. आर. हैं।

न तो उन्हें अदालत के समक्ष रखा गया और न ही पुणे पुलिस द्वारा सीजेएम, फरीदाबाद के समक्ष दायर ट्रांजिट रिमांड आवेदनों में उनका उल्लेख पाया गया। [पैरा 22] [1007-ई-एफ]

1.6 मामले का यह पहलू गंभीर चिंता का विषय है। जिस तरह से संयुक्त पुलिस आयुक्त और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त

मीडिया ब्रीफिंग में पुलिस अधिकारियों द्वारा घेर लिया गया। लेकिन इस दौरान वर्तमान सुनवाई के दौरान, ए. एस. जी. द्वारा यह प्रस्तुत करने का कोई प्रयास नहीं किया गया कि पाँच व्यक्तियों के संबंध में ऐसी कोई जांच की जा रही है। इसके विपरीत, उन्होंने निष्पक्ष रूप से कहा कि गिरफ्तार किए गए पांच व्यक्तियों को इस तरह के किसी भी मामले से जोड़ने का कोई आधार नहीं है

प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित साजिश। न ही काउंटर करता है हलफनामा उस प्रभाव का कोई भी दावा करता है। यह सब निश्चित रूप से इस बुनियादी सवाल पर असर डालता है कि क्या महाराष्ट्र

पुलिस पर अब स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। [पैरा 24] [1008-डी-एच; 1009-ए-बी]

1.7 महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में यह स्पष्ट किया गया है कि

पाँच व्यक्ति (28 अगस्त 2018 को) "दूसरों से एकत्र की गई सामग्री" पर आधारित थे। यह विज्ञापन रोमिला थापर और ओआरएस के खिलाफ की गई छापेमारी के दौरान कथित रूप से एकत्र की गई सामग्री को दर्शाता है।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

वे व्यक्ति जिन्हें जून और जुलाई 2018 के महीनों में गिरफ्तार किया गया था। काउंटर के पैराग्राफ 26 में कहा गया है कि यह सामग्री "स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि वे (i) संघर्ष क्षेत्र में भूमिगत होने के लिए कैडरों का चयन और उन्हें शामिल करना; (ii) धन जुटाना और वितरित करना; (iii) हथियारों के चयन और खरीद को सुविधाजनक बनाना; (iv) ऐसे हथियारों की दरें तय करना; और (v) कैडरों के बीच आगे के वितरण के लिए भारत में ऐसे हथियारों की तस्करी के मार्गों और तरीकों का सुझाव देना" में शामिल थे। उस पर

सामग्री को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि यह आरोप कि 28 अगस्त 2018 को गिरफ्तार किए गए पांच व्यक्तियों में से प्रत्येक जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 26 में निर्धारित प्रकृति की गतिविधियों में शामिल पाया गया है, सच्चाई के साथ स्वतंत्रता ले रहा है। जनरल एक प्रतिबंधित संगठन के दर्शन, उसकी नीतियों और उसकी गैरकानूनी गतिविधियों के निष्पादन में अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली के खिलाफ आरोप एक बात है। इसे नामित व्यक्तियों की विशिष्ट गतिविधियों से जोड़ना एक अलग मामला है। [पारस 25,26] [1009-सी

ई, जी-एच; 1010-ए]

1.8 जाँच एजेंसी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की निष्पक्षता और निष्पक्षता पर निश्चित रूप से निर्भर करने वाली परिस्थितियों में से एक पुणे से दो पंच गवाहों के आयात के संबंध में है, जब गिरफ्तारी की गई थी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 बी गिरफ्तारी करते समय एक स्वतंत्र गवाह के महत्व पर जोर देती है। वर्तमान मामले में दो पंच गवाह पुणे नगर निगम के कर्मचारी हैं। यह विवादित नहीं है कि वे

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम के हिस्से के रूप में यात्रा की। [पैरा 27] [1010-डी, एच]

डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) 1 एस. सी. सी. 416:

[1996] 10 पूरक। एस. सी. आर. 284-निर्भर।

1.9 एक गंभीर आरोप है कि गिरफ्तारी असहमति को दबाने और पांच लोगों को प्रताड़ित करने के प्रयास से प्रेरित है

ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भेदभाव और मानवाधिकारों के उल्लंघन का सामना करने वाले व्यक्तियों के कारण का पीछा किया है। में।

वर्तमान मामले में, न्यायालय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि

गैरकानूनी कृत्यों का पता लगाने के लिए आपराधिक जांच को विफल करने की आवश्यकता नहीं है। समान रूप से, न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में सतर्क रहना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुमानों की वेदी पर स्वतंत्रता का त्याग नहीं किया जाता है। व्यक्ति जो दावा करते हैं [2018] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जो कारण सत्ता के क्षेत्रों के लिए अलोकप्रिय हो सकते हैं, वे अभी भी उन स्वतंत्रताओं के हकदार हैं जिनकी संविधान द्वारा गारंटी दी गई है। असहमति जीवंत लोकतंत्र का प्रतीक है। अलोकप्रिय मुद्दों को उठाने वालों को प्रताड़ित करके विपक्ष की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता है। हालाँकि, जहाँ असहमति की अभिव्यक्ति हिंसा के लिए उकसाने या गैरकानूनी साधनों का सहारा लेकर लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के विध्वंस के निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करती है, वहाँ असहमति केवल राय की अभिव्यक्ति नहीं होती है। कानून का उल्लंघन करने वाली गैरकानूनी गतिविधियों से उसी के अनुसार निपटा जाना चाहिए। उपयोग में पुणे पुलिस का आचरण जाँच के अधीन लोगों पर आक्षेप लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एजेंसी एक निष्पक्ष जाँच की आवश्यकता को मजबूत करती है। जब संयुक्त पुलिस आयुक्त और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक उन व्यक्तियों के खिलाफ सार्वजनिक मीडिया में आक्षेप लगाते हैं जिनके आचरण की अभी भी जांच चल रही है, और न्यायिक मंच के समक्ष लंबित कार्यवाही की अवहेलना करते हुए, यह सुनिश्चित करना इस न्यायालय का कर्तव्य और दायित्व है कि

आपराधिक न्याय का प्रशासन पटरी से नहीं उतरता है। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कुछ भी जांच के गुण-दोष पर किसी भी अवलोकन के रूप में नहीं माना जाएगा जो होने वाली है। [पैरा 29] [1011-डी-एच; 1012-ए-बी] 1.10 उच्चतम न्यायालय का एक संवैधानिक दायित्व है, जहां उसका ध्यान, वर्तमान जैसे मामले में, एक निष्पक्ष जांच प्रक्रिया के पटरी से उतरने की वास्तविक संभावना की ओर आकर्षित किया गया है -

संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उचित निर्देश जारी करना। इसलिए, जबकि जाँच को विफल नहीं किया जाना चाहिए, यह एक विशेष जाँच दल की नियुक्ति के लिए एक उचित मामला है। विशेष जाँच दल शुरू में मासिक आधार पर इस न्यायालय को आवधिक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इस न्यायालय द्वारा 29 अगस्त 2018 को पारित अंतरिम आदेश तीन सप्ताह की और अवधि के लिए जारी रहेगा, जिसके भीतर उक्त पांच व्यक्तियों या उनमें से किसी एक या अधिक के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार होगा। [पारस 39-41] [1017-F-G; 1018-B]

संजीव राजेंद्र भट्ट बनाम भारत संघ (2016) 1 एससीसी

1 : [2015] 12 एस. सी. आर. 498 प्रतिष्ठित।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाम गुजरात राज्य (2009) 6 एस. सी. सी. 342 एस. आई. टी. (एन. एच. आर. सी. बनाम गुजरात राज्य (2009)

मिला थापर और ओआरएस। वी. भारत संघ और (

6 एससीसी 767: [2009] 7 एस. सी. आर. 236; राम जेठमलानी बनाम

भारत संघ (2011) 8 एससीसी 1: [2011] 8 एससीआर 725;

सामान्य कारण बनाम भारत संघ (2017) 3 एस. सी. सी. 501:

[2017] 1 एससीआर 556; सुनीता देवी बनाम भारत संघ (2018)

3 एससीसी 664; विनीत नारायण बनाम भारत संघ (1996) 2

एससीसी 199: [1996] 1 एस. सी. आर. 1053; बाबूभाई जमनादास

पटेल बनाम गुजरात राज्य (2009) 9 एससीसी 610; जनहित याचिका बनाम भारत संघ (2011) 1 एससीसी

560 ; भारती तमांग बनाम भारत संघ (2013) 15 एससीसी

578 [2013] 14 एस. सी. आर. 525; राजेंद्रन चिंगरावेलु बनाम।

आर के मिश्रा (2010) 1 एस. सी. सी. 457: [2009] 15 एससीआर 1113; नर्मदा बाई बनाम गुजरात राज्य (2011) 5 एससीसी 79:

[2011] 5 एससीआर 729; ई शिवकुमार बनाम भारत संघ

राजीव रंजन सिंह 'ललन' (VIII) बनाम भारत संघ, (2006) 6 एससीसी 613: [2006] 4 पूरक। एससीआर 742; गुलजार

अहमद आज़मी बनाम भारत संघ, (2012) 10 एस. सी. सी. 731:

[2012] 9 एस. सी. आर. 287; सिमरजीत सिंह मान बनाम यूनियन ऑफ

भारत (1992) 4 एस. सी. सी. 653; अशोक कुमार पांडे बनाम राज्य

पश्चिम बंगाल (2004) 3 एस. सी. सी. 349: [2003] 5 पूरक।

एस. सी. आर. 716; प्रतिभा रमेश पटेल बनाम भारत संघ

(2016) 12 एससीसी 375: [2016] एस. सी. आर. 896; उद्यामी इवाम

खादी ग्रामोद्योग कल्याण संस्था बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2008)

1 एस. सी. सी. 560; महाराष्ट्र राज्य बनाम तानसेन रिज़वान

सिद्दीकी (2018) 10 स्केल 711; डिवाइन रिट्रीट सेंटर बनाम केरल राज्य (2008) 3 एससीसी 542: [2008]

4 एस. सी. आर. 701; किरण बेदी बनाम जाँच समिति (1989)

1 एससीसी 494: [1989] 1 एस. सी. आर. 20; दिल्ली न्यायिक सेवा

एसोसिएशन बनाम गुजरात राज्य (1991) 4 एस. सी. सी. 406:

[1991] 3 एस. सी. आर. 936; जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1994) 4 एस. सी. सी. 260-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

ए. एम. खानविलकर, जे. (अपने लिए)

के मिश्रा, सीजेआई)

उस पर भरोसा करें

1] 5 एससीआर 729

पैरा

उस पर भरोसा करें

12 एससीआर 498

पैरा

[2018] 11

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(2018) 7 एससीसी 365

संदर्भित किया गया है

पार.

[2008] 4 एससीआर 701

संदर्भित किया गया है

पार.

[2010] 2 एससीआर 979

पीछा किया।

पार.

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड के निर्णय में, जे. (असहमति)

[2006] 4 पूरक। एससीआर 742

संदर्भित किया गया है

पै

रा I

[2012] 9 एससीआर 287

संदर्भित किया गया है

पै

रा

(1992) 4 एस. सी. सी. 653

संदर्भित किया गया है

पै

रा 1

[2003] 5 पूरक। एससीआर 716

संदर्भित किया गया है

पै

रा I

[2016] एससीआर 896

संदर्भित किया गया है

पै

रा I

(2008) 1 एससीसी 560

संदर्भित किया गया है

पै

रा I

(2018) 10 स्केल 711

संदर्भित किया गया है

पै

रा 1

(2009) 6 एससीसी 342

उस पर भरोसा करें

पै

रा

[2009] 7 एससीआर 236

उस पर भरोसा करें

पै

रा I

[2011] 8 एससीआर 725

उस पर भरोसा करें

पै

रा I

[2017] 1 एससीआर 556

उस पर भरोसा करें

पै

रा I

(2018) 3 एस. सी. सी. 664

उस पर भरोसा करें

पै

रा I

[1996] 1 एससीआर 1053

उस पर भरोसा करें

पै

रा 2

(2009) 9 एस. सी. सी. 610

उस पर भरोसा करें

पै

रा

(2011) 1 एससीसी 560

उस पर भरोसा करें

पै

रा 2

[2013] 14 एससीआर 525

उस पर भरोसा करें

पै

रा 2

[2009] 15 एससीआर 1113

उस पर भरोसा करें

पै

रा 2

[1996] 10 पूरक। एससीआर 284

उस पर भरोसा करें

पै

रा 2

[2011] 5 एससीआर 729

उस पर भरोसा करें

पै

रा 3

[2015] 12 एससीआर 498

प्रतिष्ठित

पै

रा 3

(2018) 7 एससीसी 365

उस पर भरोसा करें

पै

रा 3

[2008] 4 एससीआर 701

संदर्भित किया गया है

पै

रा 3

(2018) 11 स्केल 171

उस पर भरोसा करें

पै

रा 3

[1989] 1 एससीआर 20

संदर्भित किया गया है

पैरा 3 रोमिला थापर और ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[1991] 3 एससीआर 936

पै

रा 38

संदर्भित किया गया है

(1994) 4 एससीसी 260

पै

रा 38

संदर्भित किया गया है

[1996] 10 पूरक। एससीआर 284

उस पर भरोसा करें

पै

रा 38

न्यायनिर्णयः लेखन याचिका

आपराधिक मूल

(आपराधिक) 2018 की सं. 260

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

तुषार मेहता और मनिंदर सिंह, एएसजी, डॉ. अभिषेक सिंघवी,

डॉ. राजीव धवन, अमरेंद्र शरण, हरीश एन. साल्वे, आनंद ग्रोवर, वरिष्ठ अधिवक्ता। , प्रशांत भूषण, सुश्री वृंदा ग्रोवर, अमित भंडारी, अविष्कार सिंघवी, सुसान अब्राहम, डी. सुरेश, सौतिक बनर्जी, सुश्री रत्ना अपेंडर, सुश्री चेरिल डिसूजा, सुश्री मधुर भारतीय, अंकित ग्रेवाल, सुश्री निधि राम, हरिंदर नील, ओमन कुट्टन, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, कानू अग्रवाल, मनन पोपली, रणविजय सिंह, शांतनु शर्मा, राजीव रंजन, आर. बाला, रजत नायर, प्रभास बजाज, स्वाति घिल्डियाल, सचिन शर्मा, सुश्री देवांशी सिंह, सुश्री दीक्षा राय, सुश्री पलक महाजन, सुश्री दीक्षा राय, निहाल। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय के निर्णय दिए गए थे

ए. एम. खानविलकर, जे. 1. उनमें पाँच प्रसिद्ध व्यक्ति

28 अगस्त, 2018 को नई दिल्ली, फरीदाबाद, मुंबई, ठाणे और हैदराबाद में उनके घरों से बिना किसी विश्वसनीय के गिरफ्तार किया गया। 8 जनवरी, 2018 की एफ. आई. आर. No.0004/2018 के संबंध में उनकी गिरफ्तारी को उचित ठहराते हुए उनके खिलाफ सामग्री और सबूत दर्ज किए गए।

पुलिस थाना विश्राम बाग, पुणे शहर। यह कार्रवाई असहमति को शांत करने, लोगों को गरीबों और दलितों की मदद करने से रोकने और लोगों के मन में भय पैदा करने के लिए थी और वास्तविक मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए एक प्रेरित कार्रवाई थी। याचिकाकर्ताओं ने [2018] 11 एस. सी. आर. में यह स्पष्ट किया है।

उनकी याचिका है कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों के क्षरण के बारे में गंभीर रूप से चिंतित थे और इस अदालत से संपर्क कर रहे थे "रुकने के लिए नहीं" कथित पाँच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की "लेकिन" स्वतंत्र और विश्वसनीय "जांच सुनिश्चित करने के लिए आरोपों की जांच। उनका दावा है कि उस राहत से कम कुछ भी राष्ट्र के ताने-बाने को अपूरणीय रूप से नुकसान पहुंचाएगा।

2. वह एफ़. आई. आर. जिसके संबंध में उक्त पाँच व्यक्ति आए थे

गिरफ्तार किए जाने को संलग्न किया गया है और अनुलग्नक पी-2 के रूप में चिह्नित किया गया है। यह तुषार रमेश दामगुले द्वारा दिए गए बयान के आधार पर दर्ज किया गया था, जो इस प्रकार हैः

" अनुवादः एफ. आई. आर. कॉपी

आई, तुषार रमेश दामगुले [आयु 37] व्यवसाय

पुनर्निर्माण, सर्वेक्षण संख्या में निवास। 70 , संतोष नगर, कफराज पुणे, 411016, मोबाइल नंबर-9850065423) व्यक्तिगत रूप से बताता है कि, मैं पिछले 20 वर्षों से उपरोक्त पते पर रह रहा हूं। मैंने कला (इतिहास) में परास्नातक पूरा कर लिया है। मैं पिछले 4 वर्षों से राव एंटरप्राइजेज के नाम से निर्माण व्यवसाय चला रहा हूं। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में कहीं मैंने फेसबुक की एक पोस्ट पढ़ी, जिसमें एल्गार परिषद ने 31/12/2017 का आयोजन किया था।

शनिवार वाड़ा। इसलिए 31 दिसंबर 2017 को मैं व्यक्तिगत रूप से सागर गोखले, भूमिका वर्णनकर्ता सुधीर धावले, गायक और कलाकार ज्योति जगतप द्वारा आयोजित इस संबंधित कार्यक्रम में लगभग 2 बजे ग्राउंड, पुणे के सामने शनिवार वाड़ा गया। रमेश गेचोर और अन्य वक्ता जैसे जिग्नेश मेवानी, उमर खालिद, विनय रतनसिंह, प्रशांत डोन्था आदि मंच पर बैठे थे। उक्त मैदान में पूरी तरह से भीड़ थी। मैंने सोशल मीडिया और समाचार पत्रों द्वारा कबीर कला मंच और उनके प्रतिनिधियों से संबंधित जानकारी और समाचार पढ़े थे। तो, उन्हें जानते हैं। अन्य विषयों का अनुसरण करने के कार्यक्रम पर, बार-बार द्वेषपूर्ण कथन व्यक्त किया गया था जैसे कि "बीमा"

कोरेगांव ने दिलधाड़ा, नवी पेशावर मैनतगाड़ा,

उदावतीक्रिय राय रे, गदुन टका पेशवाई रे गर्जना सिदनाकाचे, आली न्याने पेशवाई रे गरज टीला थोक्याची, रे सैमका गरज टीला थोक्याची। इसके बाद कुछ अन्य वक्ताओं ने अपने भाषण दिए, साथ ही उसमें कबीर कला मंच के कलाकार जैसे ज्योति जगतप, रमेश गाइचोर और अन्य छह-सात लोग फिर से "भीमा कोरेगांव ने दिलधाड़ा, नवी पेशवा" गीत गाते हैं। नवी पेशावर मैनत गडा, उदावतीक्रिय राय रे, गदुम इला थापर और ओआरएस।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

ताका पेशवाई रे गर्जना सिदनाकाचे, आली न्याने पेशवाई रे गराज टीला थोक्याची, रे सैमका गराज टीला थोक्याची के साथ-साथ इसे पथनाट्या (राडारामाज) के रूप में प्रस्तुत किया गया था और दुर्भावना और दुश्मनी के साथ नृत्य कार्यक्रम किया गया था। इरादे। सुधीर धावड़े ने कहा कि दूसरे सत्र के बाद, भूमिका व्यक्त करते हुए, उन्होंने द्वेषपूर्ण और विवादास्पद बयान दिया कि "जब जुल्म हो तो, बागावत होनी चाहिये शहर में, जब जुल्म हो तो बागावत होनी चाहिये शहर में और अगर बागावत।

ना हो तो, बेहतर है की, रात ढालने से फले ये शहर जलके राख हो जाए, ये शहर जलके राख हो जाए। "फिर उन्होंने कुछ और दुर्भावनापूर्ण कथन कहा कि" ये जो सत्रहाई, ये सत्राही, तायत ही अपने आप में लडई का एल्लनहाई, ये नवे पेसवाई को।

हेमिन समशन घाट में, कब्रस्तान मेइंदाजाना है "। बाद में, अन्य वक्ताओं ने भी उसी कार्यक्रम में कुछ आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दों में खुद को व्यक्त किया।

उत्तेजक पुस्तकें बेचने के लिए रखी जाती हैं। कार्यक्रम समाप्त करने के बाद मैं वहाँ से चला गया। हमेशा की तरह 1 जनवरी, 2018 की तारीख को भीमा कोरेगांव में विजय स्तंभ/स्मारक को सलामी देने और उनका सम्मान करने के लिए भारी भीड़ जमा हुई। लेकिन 31 दिसंबर, 2017 को शनिवार वाड़ा में आयोजित एल्गार परिषद के कारण, कबीर कला मंच के सुधीर धावले, सागर गोराखे, हर्षाली पोटदार, ज्योति जगतप, रमेश गाइचोर और अन्य छह-सात लोगों ने दुर्भावनापूर्ण बयान देने की कोशिश की और विवादित शब्दों, दो समाज समूहों के बीच वाक्यों, कुछ उत्तेजक नारों, गीतों और सड़क नाटक को भड़काने की कोशिश की।

कबीर कला मंच के सुधीर धावले और उनके अन्य कार्यकर्ताओं ने प्रस्तुत किया था कि संगठित भूमिका दलित वर्ग में मजबूत माओवादी विचारों का घमंड करना और उन्हें फंसाना और उन्हें गलत तरीके से निर्देशित करना या गुमराह करना और उन्हें वही विचार रखते हुए असंवैधानिक हिंसा गतिविधियों की ओर मोड़ना है। महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में दुर्भावनापूर्ण भाषणों ने झूठा इतिहास, विवादित बयान और उकसावे फैलाए थे

आपत्तिजनक नारे, गाए गए गीत और रोड-ड्रामा। उन्होंने कुछ आपत्तिजनक और उत्तेजक पर्चे वितरित किए, किताबें भी। तो उल्लेखनीय रूप से यह भीमा कोरेगांव [2018] 11 एस. सी. आर. में परिलक्षित हुआ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और पत्थर फेंकने, जातियों की झड़पों और आगजनी की घटनाओं द्वारा निकट स्थानों पर।

इसलिए, एक संगठन-एल्गार परिषद, 31 दिसंबर, 2017 को दोपहर 2 बजे से दोपहर 1 बजे तक शनिवार वाड़ा, पुले में, कबीर कला मंच के सुधीर धावले की भूमिका को परिभाषित करता है,

कार्यक्रम संचालक सागर गोराखे और अन्य कलाकार हर्षाली पोटदार, ज्योति जगतप, रमेश गाइचोर और अन्य लोगों ने आपत्तिजनक गीतों के साथ-साथ 'जब जुल्म हो तो, बागावत होनी चाहिये शहर में, जब जुल्म हो तो बागावत' भी प्रस्तुत किए थे।

इस तरह के विवादास्पद, आपत्तिजनक बयान, विवादित शब्दों को भड़काने की कोशिश, दो समाज समूहों के बीच वाक्य, कुछ उत्तेजक नारे, गीत और रोड ड्रामा, गलत और झूठा इतिहास समाज को गुमराह करता है। वही विवादित था और पत्थर फेंकने और आगजनी की घटनाओं को विवादित में बदल दिया गया था और समाज के विशिष्ट समूहों में मानव चोटों, हिंसा, गंभीर नुकसान आदि के साथ झड़पें हुईं।

इसलिए, मैंने (1) कबीर कला मंच के सुधीर धावले, (2) प्राग्रम के संचालक सागर गोखले, (3) हर्षाली पोटदार, (4) रमेश गाइचोर, (5) दीपक डेंगलर, (6) ज्योति जगतप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मैंने इस टाइप किए गए कथन को पढ़ा और मैंने जो कुछ भी कहा वह वही सच और सही है।

यह कथन दिया गया है,

तारीखः 08/01/2018

पुलिस-उप-निरीक्षक विश्राम बाग, पुलिस स्टेशन, पुणे "।

(जोर दिया गया)

3. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, गिरफ्तार किए गए पांच लोगों में से कोई भी नहीं है

कथित एफ. आई. आर. के साथ संबंध आयोजित कार्यक्रम के दौरान मौजूद था।

"एल्गार परिषद" द्वारा पुणे में दिसंबर, 2017 (जिसके साथ वे

o चिंता) और न ही उनके खिलाफ प्राथमिकी में कोई आरोप पाया गया है।

खैर, पुणे पुलिस तेजी से उनके खिलाफ चली गई, कारणों से

रोमिला थापर और ओ. आर. एस. के विभिन्न प्रावधानों के तहत मनगढ़ंत आरोपों पर।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 ("यू. ए. पी. ए".) और भारतीय दंड संहिता के तहत। 4. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, 2 जनवरी, 2018 की प्राथमिकी के बाद से, पिम्परी पुलिस स्टेशन (ग्रामीण) में निम्नलिखित के तहत दंडनीय अपराधों के लिए

आई. पी. सी. की धारा 307,143,147,148,149,295 (ए), 435,436, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3 (2) (वी) और 3 (1) (10) और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1989 के शस्त्र अधिनियम की धारा 4 (25) हिंदुत्व दक्षिणपंथी नेताओं मिलिंद एकबोटे के खिलाफ दर्ज की गई थी और

संभाजी राव भिडे ने एक चश्मदीद गवाह के विवरण के आधार पर कहा कि उन्होंने भीम के पीछे के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय छोटे समूहों के साथ मिलकर दलित समुदाय के खिलाफ हिंसा को उकसाया था

कोरेगांव हिंसा, एक झूठी और मनगढ़ंत शिकायत को एफ. आई. आर. No.0004/2018 के रूप में तैयार किया गया था और 8 जनवरी को दर्ज किया गया था। 2018 विश्राम बाग पुलिस स्टेशन (पुणे शहर) में, जिसके संबंध में पांच नामित कार्यकर्ताओं और अन्य को गिरफ्तार किया गया है। कार्यकर्ताओं के खिलाफ यह मनगढ़ंत प्राथमिकी शिकायतकर्ता के नाम पर दर्ज की गई, जिसके 2 जनवरी, 2018 को पिंपरी पुलिस स्टेशन (ग्रामीण) में दर्ज प्राथमिकी संख्या 2 में नामित आरोपी के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। इस प्रकार पुणे पुलिस ने एक प्रेरित प्रक्रिया शुरू की और पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, जिन्हें एफ. आई. आर. संख्या 4/2018 में उल्लिखित घटना से कोई सरोकार नहीं था।

5. रिट याचिका में आगे कहा गया है कि भीमा कोरेगांव हिंसा की जांच कर रही पुणे पुलिस व्यवस्थित रूप से लीक कर रही थी

झूठा प्रचार फैलाने के उद्देश्य से चुनिंदा मीडिया को दस्तावेज

कार्यकर्ताओं के खिलाफ और गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ जनमत को पूर्वाग्रहित करने के लिए। रोणा विल्सन के घर की तलाशी के दौरान बरामद कंप्यूटर से कथित रूप से मिले लीक हुए दस्तावेजों को कॉमरेड प्रकाश को संबोधित किया गया था और 'आर' द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से वरिष्ठ कॉमरेडों द्वारा प्रधानमंत्री की हत्या करने के लिए राजीव गांधी शैली की घटना की योजना बनाकर मोदी युग को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव दिया गया था। द.

पुलिस ने अत्यधिक उत्तेजक लेकिन पूरी तरह से अप्रमाणित, असत्यापित और अप्रमाणित आरोपों को सामने लाने के लिए व्यवस्थित रणनीति अपनाई थी

पहले से ही गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ जनमत को पूर्वाग्रहित करने के लिए चुनिंदा मीडिया चैनलों के माध्यम से। इसके अलावा, एल्गार परिषद के आयोजकों ने तुरंत पुणे पुलिस के बड़े दावे का खंडन किया था और रिकॉर्ड में कहा था कि जांच के तहत प्राथमिकी में संदर्भित कार्यक्रम उनके (एल्गार परिषद) द्वारा आयोजित किया गया था और कोई अन्य संगठन इससे संबंधित नहीं था, किसी भी प्रतिबंधित संगठन की इस संबंध में कोई भूमिका नहीं थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह बयान इस न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश और बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक अन्य पूर्व न्यायाधीश द्वारा जारी किया गया था, जो एल्गार परिषद के आयोजक हैं, उन्होंने पुलिस द्वारा मीडिया में लीक किए गए पत्रों की जोरदार निंदा की क्योंकि वे कभी भी अदालत के सामने सबूत के रूप में पेश नहीं किए गए थे और यह कि यह सरकार की एक चाल थी क्योंकि एल्गार परिषद द्वारा प्रतिष्ठान के खिलाफ अपनी आवाज उठाने और सांप्रदायिक ताकतों का विरोध करने के लिए लोगों की लामबंदी के कारण उसे खतरा महसूस हुआ था। द.

एल्गार परिषद के संगठन ने भी प्राथमिकी में नामित किसी भी आरोपी व्यक्ति से धन प्राप्त करने से इनकार किया था।

6. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, पुणे द्वारा इसी तरह की मनमानी गिरफ्तारी

पूरे देश में शहर की पुलिस तैनात की गई थी, विशेष रूप से उन लोगों की जो

गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए और मानवाधिकार रक्षकों, वकीलों, कार्यकर्ताओं और उनके द्वारा समर्थित प्रगतिशील विचारों और मानवाधिकार विचारधारा को बदनाम करने के लिए बात की, ताकि कार्यकर्ताओं के मन में डरावना प्रभाव पड़े और उन्हें नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना करने से रोका जा सके।

सरकार की ओर से।

7. याचिकाकर्ता तब कहते हैं कि कोई साक्ष्य प्रदान किए बिना

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों और 2018 की एफ. आई. आर. संख्या 4 के साथ छापे मारे गए गौतम नवलखा और सुधा भारद्वाज के बीच संबंध, उन्हें उन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित गिरफ्तारी ज्ञापन दिए गए थे जिन्हें गिरफ्तारी ज्ञापनों को प्रमाणित करने के लिए पुणे पुलिस के दल के हिस्से के रूप में तथाकथित "स्वतंत्र और सम्मानित व्यक्तियों" के रूप में लाया गया था। जब्ती ज्ञापन मराठी में तैयार किए गए थे और पंचों द्वारा हस्ताक्षरित किए गए थे जिन्हें पुणे पुलिस द्वारा दल के हिस्से के रूप में लाया गया था। एफ. आई. आर. या जब्ती ज्ञापन की कोई अनुवादित प्रति गौतम नवलखा या सुधा भारद्वाज को नहीं दी गई थी, भले ही वे मराठी से परिचित नहीं थे। इसमें

पृष्ठभूमि में, गौतम नवलखा ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की, जो 28 अगस्त, 2018 को मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा पारित पारगमन रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली 2018 की रिट याचिका है। इसी तरह की याचिका पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर की गई थी ताकि अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय को निर्देश दिया जा सके जिसने अनुमति दी थी

प्रार्थना करें

सुधा भारद्वाज को उनके आवास पर रखने के लिए ट्रांजिट रिमांड प्रदान करें

स्थानीय पुलिस की देखरेख। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर याचिका अभी भी लंबित है। फिर भी, याचिकाकर्ता पुणे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए पांच व्यक्तियों के कारण का समर्थन करने के लिए एक जनहित याचिका के रूप में दायर वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से इस अदालत में पहुंचे, जिसमें कथित गिरफ्तारी की एक स्वतंत्र और व्यापक जांच के लिए अनुरोध किया गया:

इला थापर और ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

" प्रार्थनाएँ

इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय यह अनुमति दे

निम्नलिखित प्रार्थनाएँः

(i)

एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें,

जून और अगस्त 2018 में इन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की स्वतंत्र और व्यापक जांच

भीमा कोरेगांव हिंसा के साथ।

ii) एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें इस व्यापक कार्रवाई के लिए महाराष्ट्र राज्य से स्पष्टीकरण मांगा जाए।

गिरफ्तारी का दौर;

iii) एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें निर्देश दिया जाए कि -

गिरफ्तार किए गए सभी कार्यकर्ताओं की हिरासत से तत्काल रिहाई

गिरफ्तारी तब तक की जाती है जब तक कि मामले की पूरी तरह से जांच और इसके द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है अदालत।

(iv) ऐसा कोई अन्य आदेश पारित करें जो उचित समझा जाए।

8. जैसा कि ऊपर कहा गया है, याचिका 29 अगस्त, 2018 को दायर की गई थी और भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष तत्काल निर्देश के लिए दायर की गई थी। इस पीठ ने तत्काल उल्लेख पर विचार किया और पारित किया

उसी दिन आदेश देनाः

" बोर्ड पर लिया गया। नोटिस जारी करें।

श्री तुषार मेहता और श्री मनिंदर सिंह, श्री आर. बालासुब्रमण्यम द्वारा सहायता प्राप्त अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, विद्वान वकील 5.9.2018 द्वारा जवाबी हलफनामा दायर करेंगे। अगर इसका कोई जवाब है, तो उसे तीन दिनों के भीतर दाखिल किया जाए।

हमने अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना पर विचार किया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए श्री गौतम नवलखा और सुश्री सुधा भारद्वाज ने घर में नजरबंद रखा गया। उनके द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि एक अंतरिम उपाय के रूप में, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है यदि यह अदालत आदेश देती है कि श्री वरवर राव, श्री अरुण फरेरा और श्री वर्नोन गोंजाल्विस को अगर गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें उनके अपने घरों में नजरबंद रखा जाता है।

हम उसी के अनुसार आदेश देते हैं। श्री गौतम नवलखा और सुश्री सुधा भारद्वाज की नजरबंदी हमारे आदेशों के अनुसार बढ़ाई जा सकती है। कहने की जरूरत नहीं है, एक अंतरिम आदेश एक अंतरिम आदेश है और सभी

विवादों को खुला रखा जाता है।

इस मामले को 6.9.2018 पर सूचीबद्ध होने दें।

यह अंतरिम व्यवस्था समय-समय पर जारी रही है और इस याचिका के निपटारे तक लागू रहती है।

9. महाराष्ट्र राज्य ने सहायक पुलिस आयुक्त डॉ. शिवाजी पंडितराव पवार का जवाबी हलफनामा दायर किया है। (जाँच अधिकारी), स्वारगेट प्रभाग, पुणे शहर, पुणे। जांच के तहत अपराध के लिए अजनबी तीसरे पक्ष द्वारा दायर की जा रही रिट याचिका की स्थिरता के बारे में आपत्ति लेने के अलावा, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि अपराध के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आलोक में

अब तक की गई जाँच, रिट को खारिज करना वांछनीय होगा

याचिका। उन्होंने कहा है कि पूरी रिट याचिका रिट याचिकाकर्ताओं की व्यक्तिगत धारणा पर आधारित है कि गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्ति हैं। उत्कृष्ट, जाने-माने और सम्मानित मानवाधिकार कार्यकर्ताओं "और इसलिए, उनकी गिरफ्तारी की जांच की जानी चाहिए और उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। यह कहने के बाद, उन्होंने जोर देकर कहा है कि तत्काल मामले में, पांच नामित व्यक्तियों को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया है क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक या अन्य मामलों में असहमति या मतभेद व्यक्त किए हैं।

विचारधाराएँ लेकिन अब तक की गई जाँच ने एक गंभीर अपराध में उनकी संलिप्तता का खुलासा किया है, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का सक्रिय सदस्य होना, जिसे 2009 से एक आतंकवादी संगठन के रूप में प्रतिबंधित किया गया है, और बड़े पैमाने पर हिंसा और संपत्ति के विनाश की योजना बनाने और तैयारी में उनकी भागीदारी शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप समाज में अराजकता फैल गई है। उनमें से प्रत्येक एक सुविचारित आपराधिक साजिश का हिस्सा है और उसने "कबीर कला मंच" नामक एक अग्रणी संगठन के माध्यम से एलगार परिषद द्वारा पुणे में आयोजित कार्यक्रम का समर्थन किया था।

10. तब यह कहा जाता है कि तुषार रमेश दामगुले ने 8 जनवरी, 2018 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें छह लोगों को आरोपी के रूप में नामित किया गया था।

विश्राम बाग पुलिस स्टेशन द्वारा इसके तहत अपराध दर्ज किया गया। छह नामित अभियुक्तों में से केवल एक व्यक्ति सुधीर धावले को 6 जून, 2018 को पंजीकृत अपराध के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी और चल रही जांच के दौरान सामग्री एकत्र की गई, धारा 120-बी को 6 मार्च, 2018 को रोमिला थापर और ओआरएस जोड़ा गया।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

और दो और व्यक्तियों को संदिग्ध आरोपी पाया गया, अर्थात्,

सुरेंद्र गाडलिंग, आर/ओ नागपुर और रोना विल्सन, आर/ओ दिल्ली। 17 अप्रैल, 2018 को जांच एजेंसी ने आवास पर तलाशी ली आठ व्यक्तियों में से, अर्थात्ः

रोना विल्सन, आर/ओ दिल्ली

1)

सुरेंद्र गाडलिंग, आर/ओ नागपुर

2)

सुधीर धवाला और हर्षाली पोटदार, आर/ओ मुंबई

3)

सागर गोराखे, आर/ओ पुणे

4)

5) दीपक ढेंगले, आर/ओ पुणे

6)

रमेश ग्याचोरे और ज्योति जगतप, आर/ओ पुणे

इसके अलावा, जांच एजेंसी द्वारा संबंधित व्यक्तियों के दरवाजे खटखटाने के समय से लेकर बरामद सामग्री को जब्त करने, सील करने तक पूरी खोज प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई थी। स्वतंत्र पंचों की उपस्थिति में पंचनामा बनाए जाते थे। उक्त तलाशी के दौरान, उनके पास से दस्तावेज बरामद किए गए

कंप्यूटर/लैपटॉप/पेन ड्राइव/मेमोरी कार्ड। अलग-अलग दस्तावेज थे अलग-अलग तारीखों पर नकल की गई पाई गई। जब्त की गई वस्तुओं को तुरंत जांच के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया, जिसने बदले में जांच एजेंसी को "क्लोन प्रतियां/दर्पण चित्र" दिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एफएसएल रिपोर्ट के लंबित होने से जांच में बाधा न आए।

जांच पड़ताल की। इसके बाद कहा जाता है कि जब्त किए गए लोगों से बरामद किए गए दस्तावेज

वस्तुओं ने उस जानकारी को उजागर किया जिसमें आरोपी न केवल भाकपा (माओवादी) के सक्रिय सदस्यों के रूप में शामिल थे, बल्कि समाज को अस्थिर करने की क्षमता वाले आपराधिक अपराधों को करने और करने की प्रक्रिया में शामिल थे। दस्तावेज़ स्पष्ट रूप से न केवल कथित अभियुक्त व्यक्तियों के बीच, बल्कि बाद में गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों के साथ तैयारी, योजना और समन्वय को दर्शाते हैं।

दुश्मन (जो हमारा देश और सुरक्षा बल है) के खिलाफ नियोजित घात/विद्रोह सहित हिंसा।

11. उन्होंने आगे कहा है कि संबंधित अभियुक्तों की हिरासत और कब्जे से तलाशी के दौरान बरामद किए गए सभी दस्तावेज

न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, जिसके अवलोकन से पता चलेगा कि अभियुक्त व्यक्ति केवल राजनीतिक असंतुष्ट नहीं हैं, बल्कि आपराधिक अपराधों के कुटिल मंसूबों, योजना बनाने, तैयार करने और करने में शामिल हैं

समाज को अस्थिर करने के लिए। आपत्तिजनक सामग्री सामने आने के बाद, [2018] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यू. ए. पी. ए. की धारा 13,16,17,18,18-बी, 20,38,39 और 40 के तहत निम्नलिखित व्यक्तियों के खिलाफ अपराध जोड़े गए हैंः

1) सुरेंद्र गाडलिंग, आर/ओ नागपुर

2) रोना विल्सन, आर/ओ दिल्ली

3) शोमा सेन आर/ओ नागपुर

4) महेश राउत आर/ओ नागपुर और गढ़चिरौली

5) कॉमरेड एम. उर्फ मिलिंद तेलतुम्बडे [भूमिगत] 6) कॉमरेड प्रकाश उर्फ नवीन उर्फ ऋतुपर्ण गोस्वामी आर/ओ

असम [भूमिगत]

7) कॉमरेड मंगलू [भूमिगत] 8) कॉमरेड दीपू और अन्य भूमिगत सदस्य।

हलफनामे में आगे कहा गया है कि चल रही जांच के दौरान 6 जून, 2018 को निम्नलिखित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गयाः

1) सुरेंद्र गाडलिंग, आर/ओ नागपुर

2) रोना विल्सन आर/ओ दिल्ली

3) सुधीर धनवाले

इसके अलावा, दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया और 6 जून, 2018 को तलाशी ली गई, जिनके नाम थे, शोमा सेन, नागपुर निवासी और महेश राउत, नागपुर निवासी और गढ़चिरौली निवासी। इसके बाद कहा जाता है कि उनके खिलाफ तलाशी ली गई

इन व्यक्तियों की शुरुआत से अंत तक वीडियोग्राफी भी की गई थी

अन्य अभियुक्तों की तलाशी के संबंध में पहले के अवसर पर किया गया था। इस तलाशी के दौरान भी यह आरोप लगाया जाता है कि जब्त की गई सामग्री कंप्यूटर, लैपटॉप, पेन ड्राइव और मेमोरी के रूप में थी जिन कार्डों को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को भेज दिया गया है, जिन्होंने आगे की जांच को सुविधाजनक बनाने के लिए जांच एजेंसी को क्लोन प्रतियां प्रदान की हैं।

12. इसके बाद हलफनामे में कहा गया है कि आगे की जांच

यह खुलासा किया गया कि 28 अगस्त, 2018 को गिरफ्तार किए जाने वाले पांच व्यक्ति भी आपराधिक साजिश में शामिल थे और उनकी भूमिका केवल परिधीय प्रकृति की नहीं थी। आपत्तिजनक सामग्री के आधार

पर, उन्हें सरकारी रोमिला थापर और ओआरएस स्वतंत्र पंचों की उपस्थिति में इसी तरह आवासीय या कार्यस्थलों से गिरफ्तार किया गया था।

प्रगति, संबंधित अभियुक्त की संलिप्तता को इंगित करने के लिए जिनके पास है गिरफ्तार किए गए पाँच नामित व्यक्तियों सहित जिनके संबंध में वर्तमान रिट याचिका तीसरे पक्ष द्वारा दायर की गई है। उन्हें उनकी राजनीतिक गतिविधियों के कारण गिरफ्तार नहीं किया जाता है, बल्कि समाज को अस्थिर करने और प्रतिबंधित संगठन के साथ उनके जुड़ाव के लिए अपराधों की योजना और निष्पादन में उनकी भागीदारी के लिए गिरफ्तार किया जाता है। उनकी भागीदारी प्रतिबंधित संगठनों में कैडरों को 'संघर्ष क्षेत्र' में भूमिगत होने के लिए चुनने और प्रोत्साहित करने, धन जुटाने और वितरित करने में देखी जाती है।

हथियारों के चयन और खरीद को सुविधाजनक बनाना, ऐसे हथियारों की दरें तय करना और कैडरों के बीच इसके आगे के वितरण के लिए भारत में ऐसे हथियारों की तस्करी के मार्ग और तरीके सुझाना। उनमें से कुछ ने प्रशिक्षण और बूबी ट्रैप और दिशात्मक खान बिछाने का सुझाव दिया है। उनकी भागीदारी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के रणनीतिक दस्तावेजों की तर्ज पर सशस्त्र विद्रोह के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतिक जानकारी प्रदान करने के लिए भी है। यह कहा गया है कि जांच के दौरान एकत्र की गई सभी सामग्री को अंततः उचित समय पर दायर की जाने वाली पुलिस रिपोर्ट के साथ क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के रिकॉर्ड में रखा जाएगा। इसके अलावा, उस सामग्री को किसी भी बहुत कम आरोपी को दिखाने का सवाल, चल रही जांच को विफल कर देगा और यह कानून की आवश्यकता नहीं है। हलफनामे में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि संबंधित अभियुक्त की नजरबंदी केवल शारीरिक गतिविधि को प्रतिबंधित करती है, लेकिन यह सुनिश्चित करने का कोई तरीका नहीं है कि ये व्यक्ति सबूतों को नष्ट करने में शामिल न हों और घर पर बैठे हुए अन्य संभावित अभियुक्तों को सतर्क न करें। वास्तव में, आगे की जांच के दौरान उनकी हिरासत में पूछताछ आवश्यक हो सकती है और इस कारण से जांच एजेंसी को कानून के अनुसार उन्हें पुलिस हिरासत में लेने की स्वतंत्रता दी जा सकती है।

14. याचिकाकर्ताओं ने विस्तृत जवाबी हलफनामा दायर किया है। जवाबी हलफनामे के अलावा, की ओर से औपचारिक आवेदन दायर किए गए हैं सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, अरुण फरेरा और वर्नोन गोंजाल्विस, जो वर्तमान में नजरबंद हैं, ने कहा कि उन्हें उनके द्वारा दायर रिट याचिका को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाए। यह आवेदन जांच के तहत अपराध के लिए अजनबी होने के रूप में पांच याचिकाकर्ताओं के स्थान के मुद्दे के जवाब में है। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं [2018] 11 एस. सी. आर. द्वारा एक आवेदन दायर किया गया है।

उन्हें रिट याचिका के प्रार्थना खंड में संशोधन करने के लिए प्रेरित करना और

याचिकाकर्ताओं को निम्नलिखित संशोधित प्रार्थनाओं की मांग करनी चाहिए:

" (i) वरिष्ठ पुलिस वाले विशेष जांच दल (एस. आई. टी.) के गठन के लिए एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना।

पेशेवरता के त्रुटिहीन कैरियर रिकॉर्ड वाले अधिकारी,

सत्यनिष्ठा और स्वतंत्रता, इस माननीय न्यायालय को सीधे रिपोर्ट करना, एक निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच करने और 02.01.2018 (अब C. R. 1) पर पिंपरी पुलिस स्टेशन में दर्ज शून्य एफ़. आई. आर. में बताए गए अपराधों की जांच करने के लिए। मामला सं. 2/2018), और दर्ज की गई एफ. आई. आर. 4/2018 और अन्य सभी संबंधित मामले और आरोप;

या

((ii) इसके लिए एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें। 02.01.2018 (अब सी. आर.) पर पिम्परी पुलिस स्टेशन में दर्ज शून्य एफ. आई. आर. में कथित अपराधों की जांच। मामला संख्या 2/2018), और विश्रामबाग पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी 4/2018

08.01.2018 , और अन्य सभी संबंधित मामले और आरोप, जो एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किए जाएंगे, जिनकी जांच एजेंसी द्वारा जांच की स्थिति रिपोर्ट नियमित रूप से दाखिल करने के माध्यम से इस माननीय न्यायालय द्वारा सीधे निगरानी की जाएगी; और/या (iii) एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसमें निर्देश दिया जाए कि सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, रिकॉर्ड और सामग्री कथित रूप से हिरासत में लिए गए लोगों से जब्त की गई है या अन्यथा, अगर उन पर भरोसा किया जा रहा है या उन पर भरोसा किया जा रहा है।

बंदियों को स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए, महाराष्ट्र राज्य के बाहर एक फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा जांच की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि

निष्पक्ष खेल और न्याय के हित में; और/या

((iv) कानून के अनुसार गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की हिरासत से रिहाई का निर्देश देते हुए एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

ऐसे नियम और शर्तें जो इस माननीय न्यायालय की संतुष्टि के लिए आवश्यक और उपयुक्त मानी जाएं; और/या

(v) ऐसा कोई भी आगे का आदेश (आदेश) पारित करें जिसे यह माननीय न्यायालय तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझे। वर्तमान मामला, और न्याय के हित में।

15. बहस के दौरान डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, डॉ. राजीव एन, डॉ. अश्विनी कुमार और श्री प्रशांत ने वरिष्ठ वकील के रूप में काम किया।ए, रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील और श्री आनंद आर, गिरफ्तार व्यक्तियों की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील, के पास यह है कि उक्त पांच व्यक्तियों को न तो प्राथमिकी में नामित किया गया है और न ही रोमिला थापर और ओआरएस।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

क्या वे एफ. आई. आर. में उल्लिखित घटना के दौरान मौजूद थे। पंजीकरण

एक ही घटना के संबंध में दो प्राथमिकियों में से, पहली 2 जनवरी, 2018 को पिम्परी (शहरी) पुलिस स्टेशन में और दूसरी, पुणे शहर के विशाराम बाग पुलिस स्टेशन में, अस्वीकार्य थी और पुणे शहरी पुलिस की निष्क्रियता को हटाने के लिए एक चाल थी। इसके अलावा, कठोर कानून (यू. ए. पी. ए.) के तहत अपराधों को सक्षम प्राधिकारी के उचित प्राधिकरण के बिना जोड़ा गया है। यह तर्क दिया जाता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और अभियुक्त की गरिमा मूल संवैधानिक मूल्यों के पहलू हैं। उनका कहना है कि यह मामला सामान्य आपराधिक न्यायशास्त्र के बारे में नहीं है, बल्कि संवैधानिक मूल्यों को साकार करने और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के रूप में निर्दोष लोगों की अन्यायपूर्ण कैद को उजागर करने के लिए है। उनका कहना है कि अभियुक्त व्यक्तियों की स्वतंत्रता और गरिमा को संरक्षित किया जाना चाहिए। उनके अनुसार, जांच एजेंसी जांच में निष्पक्षता के अपने वैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं कर रही थी, बल्कि दस्तावेजों के चुनिंदा लीक में लिप्त थी जिसमें शामिल थेः

केवल अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ अप्रमाणित आक्षेप

उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने और उनके खिलाफ जनमत बनाने के लिए। पुणे पुलिस ने 28 अगस्त, 2018 को गिरफ्तार किए गए पांच लोगों के बजाय एक आरोपी से जब्ती के दौरान बरामद किए गए दस्तावेजों का खुलासा करने के लिए प्रेस में जल्दबाजी करने का दुस्साहस किया। उनका कहना है कि दो पूर्व न्यायाधीशों द्वारा जारी स्पष्टीकरणात्मक बयान को खारिज नहीं किया जा सकता है। हालांकि, जांच एजेंसी द्वारा उनसे तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है दो न्यायाधीश। उनके अनुसार, यह रिट याचिका में नामित पांच व्यक्तियों के उत्पीड़न का मामला है क्योंकि 2005 से उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं और उनमें से प्रत्येक को संबंधित मामले में बरी कर दिया गया है। 25 वरवरा राव के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, अरुण फरेरा के खिलाफ 11 मामले और वार्नोन गोंजाल्विस के खिलाफ 18 मामले दर्ज किए गए हैं। गोंजाल्विस के खिलाफ एक मामले को छोड़कर सभी मामलों में उन्हें बरी कर दिया गया है, जो मामला अपील में लंबित है। उन्होंने उपमहापौर की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पर भरोसा किया है जो 1 जनवरी, 2018 को उकसाने और हिंसा करने के लिए विशेष रूप से संभाजी राव भिडे और मिलिंद एकबोटे की संलिप्तता की ओर स्पष्ट रूप से इशारा करती है। हालांकि, पुणे पुलिस ने दंगों और हिंसा के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह समझ से परे है कि एक ही घटना के संबंध में दो एफ. आई. आर. एस. दर्ज हैं और दो अलग-अलग हैं।

जाँच एजेंसियाँ जाँच के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा, 28 अगस्त, 2018 को पांच लोगों की गिरफ्तारी का आधार उनका (2018) 11 एस. सी. आर. था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वर्तमान प्रधानमंत्री की हत्या की योजना बनाने में संलिप्तता लेकिन प्राथमिकी में उस प्रभाव का कोई आरोप नहीं है और न ही पुलिस द्वारा कोई नई प्राथमिकी दर्ज की गई है, हालांकि यह एक गंभीर मामला है जिसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए। जाँच एजेंसी या कम से कम सी. बी. आई. हालाँकि, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति मानवाधिकार सक्रियता के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के लिए जाने जाते हैं और उन्हें अप्रमाणित आरोपों के आधार पर और उनके खिलाफ बिना किसी सबूत के अनुचित तरीके से सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। एक वास्तविक खतरा पैदा करने का पूरा उप-पाठ जांच एजेंसी की कल्पना का एक अनुमान है और यह उन्हें सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों के लिए किया गया है। जाहिर है, यह राजनीति से प्रेरित है। जाँच एजेंसी द्वारा पसंद किए गए पारगमन रिमांड आवेदनों में भी संकेत देने वाले पत्रों का उल्लेख नहीं है -

माओवादी साजिश की योजना बनाने और उसे लागू करने में संबंधित व्यक्तियों की भागीदारी और न ही उन पत्रों को अब तक अदालत के समक्ष पेश किया गया है। मीडिया को जो पत्र भेजे गए, वे स्पष्ट रूप से मनगढ़ंत हैं। इसके अलावा, कोई प्रशंसनीय स्पष्टीकरण सामने नहीं आ रहा है कि जाँच क्यों की जा रही है। एजेंसी महाराष्ट्र राज्य के बाहर तलाशी लेने के लिए पंचों को अपने साथ ले गई थी। 2018 की एफ. आई. आर. संख्या 4 में जाँच दल की भूमिका जिस तरह से उन्होंने पाँच व्यक्तियों की गिरफ्तारी की

रिट याचिका में नामित, गंभीरता से पूछताछ की गई है और विद्वान वकील द्वारा यह ईमानदारी से प्रार्थना की जाती है कि संशोधित राहत, जैसा कि दावा किया गया है, प्रदान की जानी चाहिए। वकील ने मामले की जांच एक स्वतंत्र जांच एजेंसी को सौंपने के लिए याचिका को समर्थन देने के लिए विस्तृत लिखित प्रस्तुतियाँ दायर की हैं। 16. दूसरी ओर महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने कहा कि न्यायालय को इस तरह की रिट याचिका पर विचार करने के लिए अनिच्छुक होना चाहिए, जब वैधानिक प्रावधानों के अनुसार किसी गंभीर अपराध की जांच चल रही है और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री संबंधित आरोपी की गिरफ्तारी को उचित ठहराती है। उन्होंने कहा कि जांच

पुलिस उपायुक्त की देखरेख में सहायक पुलिस आयुक्त रैंक के एक अधिकारी द्वारा Cr.P.C के प्रावधानों के अनुसार जिम्मेदारी से और निष्पक्ष रूप से और सख्ती से संचालित किया जा रहा है और आगे संयुक्त आयुक्त द्वारा और अंत में पुलिस आयुक्त द्वारा निगरानी की जा रही है जो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रैंक के हैं। जाँच अधिकारी के खिलाफ आदेश के तहत काम करने या नामित आरोपी के खिलाफ कोई व्यक्तिगत द्वेष रखने का कोई आरोप नहीं है। इसके अलावा, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी और निगरानी है और रोमिला थापर और ओ. आर. एस. के लिए पहले से मौजूद सुरक्षा उपाय किए गए हैं।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

राज्य द्वारा निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित करने के लिए और सभी प्रकार की स्वतंत्र और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, इस तथ्य के साथ कि जाँच एजेंसी की कार्रवाई की निगरानी विभिन्न चरणों में क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों द्वारा की जाएगी, विशेष जाँच दल की नियुक्ति या अदालत की निगरानी में स्वतंत्र जाँच एजेंसी द्वारा जाँच की अनुमति देने के प्रश्न को छोड़ दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि

न्यायालय अपनी अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए जाँच के दौरान पहले से एकत्र किए गए दस्तावेजों को देख सकता है कि क्या संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी उचित थी या अन्यथा। किसी भी मामले में, न केवल पुलिस रिमांड या न्यायिक रिमांड और जमानत आवेदन के लिए आवेदन पर विचार करते हुए, बल्कि अभियोजन को आरोपमुक्त करने और रद्द करने के उपाय पर भी विचार करते हुए अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालयों द्वारा जांच एजेंसी की कार्रवाइयों की देखरेख करने का मजबूत तंत्र है। दूसरे शब्दों में, याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दे जमानत या रिहाई की राहत के लिए हो सकते हैं।

खारिज करना, लेकिन जाँच एजेंसी के परिवर्तन के लिए प्रार्थना पर विचार करने के लिए प्रासंगिक नहीं है, वह भी स्वयं अभियुक्त के कहने पर। उसने दे दिया है।

हमारे अवलोकन के लिए, जांच के दौरान एकत्र किए गए दस्तावेजों या कथित रूप से संबंधित अभियुक्त की संलिप्तता दिखाने वाली आपत्तिजनक सामग्री के संकलन पर। उन्होंने आरोपी व्यक्तियों से तलाशी के दौरान बरामद केस डायरी और दस्तावेजों के दो रजिस्टर भी सौंपे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिस विषय की प्राथमिकी के संबंध में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, वह 8 जनवरी, 2018 को आईपीसी की धारा 153-ए, 505 (1 बी), 17,34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज की गई थी। जाँच के आगे बढ़ने के बाद, चल रही जाँच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर 16 मई, 2018 को यू. ए. पी. ए. की धारा 13,16,17,18,18 बी, 20,38,39 और 40 के तहत अपराधों सहित और अपराध जोड़े गए। शुरू में, अपराध केवल 6 अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज किया गया था और जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, अब तक 22 अभियुक्तों के नाम हैं, जिनमें इस याचिका में संदर्भित 5 अभियुक्त भी शामिल हैं, जिन्हें केस डायरी में बताए गए कारणों के लिए 22 अगस्त, 2018 को अभियुक्त के रूप में जोड़ा गया था, और उसके बाद ही जांच दल 28 अगस्त, 2018 को उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ा। वह प्रस्तुत करता है कि जांच एजेंसी को नामित अभियुक्तों के खिलाफ प्रतिबंधित संगठन के साथ उनकी संलिप्तता का खुलासा होने के बाद आगे बढ़ना पड़ा, जैसा कि सह-अभियुक्तों के परिसरों के संबंध में की गई तलाशी के दौरान बरामद दस्तावेजों और सामग्री से देखा गया था। नामित अभियुक्त (ए 16 से ए 20) को तलाशी के तरीके के संबंध में जांच के उस हिस्से पर सवाल उठाने के लिए नहीं सुना जा सकता है, जो अकेले संबंधित सह-अभियुक्त क्षेत्राधिकार अदालत के समक्ष उचित स्तर पर कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

17. वह प्रस्तुत करता है कि भले ही न्यायालय के पास मामले के सभी पहलुओं की जांच करने का अधिकार क्षेत्र हो, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि जाँच एक प्रारंभिक चरण में है और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा पुलिस आयुक्त के स्तर तक अपने वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में की जा रही है, यह राहत देने का मामला नहीं है जैसा कि प्रार्थना की गई है।

अभियुक्त व्यक्तियों को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे इस न्यायालय का दरवाजा खटने के बजाय कानून द्वारा निर्धारित उपाय का सहारा लेना चाहिए और अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय से पूर्ण न्याय प्राप्त कर सकते हैं। वे प्रस्तुत करते हैं कि आपराधिक मामलों में, अजनबियों के कहने पर जनहित याचिका की आड़ में हस्तक्षेप को हमेशा इस न्यायालय द्वारा हतोत्साहित और खारिज किया गया है। इसके अलावा, वर्तमान याचिका प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है और जैसा कि नामित आरोपी वरवर राव, सुधा भारद्वाज और गौतम नवलखा ने अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालयों के समक्ष अपनी-अपनी याचिकाएं दायर की हैं, जो कार्यवाही निर्णय के लिए लंबित है, उन्हीं व्यक्तियों ने अब इस अदालत के समक्ष हलफनामा दायर किया है। उन्हें याचिकाकर्ताओं के रूप में स्थानांतरित करने और उन्हें रिट याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना को अपनाने की अनुमति देने के लिए। उन्हें अपना उपचार चुनना चाहिए जिसे आगे बढ़ाया जाए और विशेष रूप से, क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों के समक्ष। इसलिए इस याचिका को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। वह प्रस्तुत करता है कि अभियुक्त व्यक्तियों को रिहा करने के लिए रिट याचिका में दावा की गई संशोधित राहत बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति में है जो चल रही जांच के दौरान की गई गिरफ्तारी के संबंध में बनाए रखने योग्य नहीं है। वह प्रस्तुत करता है कि एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से अपराध की जांच में राहत पाने के लिए आरोपी के पक्ष में कोई अधिकार नहीं हो सकता है और इसी कारण से, जांच के तहत अपराध के लिए अजनबी या आरोपी के अगले दोस्तों को भी जनहित याचिका की आड़ में इस तरह की राहत देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। वह प्रस्तुत करता है कि वर्तमान रिट याचिका का आधार रिट याचिकाकर्ताओं की धारणा है (अगला

मित्र) कि अभियुक्त निर्दोष व्यक्ति हैं। वह प्रस्तुत करता है कि वह आधार कमजोर है। क्योंकि, विभाजित व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के पर्याप्त उदाहरण हैं। आपराधिक मामले में, कार्रवाई जांच के दौरान एकत्र किए गए ठोस तथ्यों पर आधारित होती है न कि व्यक्तिगत धारणा पर। उन्होंने तर्क दिया कि रिट याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि पांच नामित अभियुक्तों की स्वतंत्रता से अनुमानों और अनुमानों के आधार पर समझौता नहीं किया जा सकता है, पूरी तरह से गलत है और चल रही जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर खारिज किया जा सकता है जो उनमें से प्रत्येक की मिलीभगत का संकेत देता है। वह Cr.P.C की धारा 41 पर निर्भर करता है जो पुलिस को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सक्षम बनाता है जिसके खिलाफ एक "उचित संदेह" मौजूद है कि उसने एक संज्ञेय अपराध किया है। इसलिए, जांच एजेंसी की अखंडता पर संदेह नहीं किया जा सकता है क्योंकि पर्याप्त सामग्री रोमिला थापर और ओआरएस है।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

प्रत्येक अभियुक्त के विरुद्ध। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि जांच एजेंसी को बदलने के निर्देश के लिए सेवा में लगाए गए परिस्थितियों के आधार पर रिट याचिकाकर्ताओं का तर्क पूरी तरह से प्रमुख आपराधिक न्यायशास्त्र के खिलाफ है और इस तरह की राहत व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है

पहले से ही जांच के तहत एक अपराध में आरोपी के रूप में नामित।

18. श्री हरीश साल्वे, शिकायतकर्ता की ओर से पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील, जिनके कहने पर विश्राम बाग पुलिस स्टेशन (पुणे शहर) में प्राथमिकी संख्या 4/2018 दर्ज की गई थी, प्रस्तुत करते हैं कि गैरकानूनी गतिविधि की सीमा को पार करने वाले विचारों का विपणन करने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार से बहुत कम है। न्यायालय को इस तथ्य की जांच करनी चाहिए कि क्या जांच ऐसी गैरकानूनी गतिविधि के संबंध में है या केवल असंतुष्ट राजनीतिक आवाज को दबाने के लिए है। यदि यह पूर्व है, तो जांच

बिना किसी बाधा के आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए। किसी भी मामले में, प्रभावित व्यक्तियों, अर्थात्, नामित अभियुक्त को क्षेत्राधिकार न्यायालय के समक्ष कानून द्वारा निर्धारित उपचार का सहारा लेना चाहिए क्योंकि यह गैरकानूनी हिरासत या किसी अनधिकृत जांच एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई का मामला नहीं है।

उनके अनुसार, अदालत को एस. आई. टी. या एक स्वतंत्र जांच एजेंसी या अदालत की निगरानी में जांच नियुक्त करने के पक्ष में तभी झुकना चाहिए जब की गई शिकायत जांच को पटरी से उतारने या किसी प्राधिकरण द्वारा प्रभावित होने के बारे में हो। वर्तमान मामले में, शिकायत किसी भी कानूनी साक्ष्य के बिना व्यक्तियों की अनुचित गिरफ्तारी तक सीमित है जो किसी भी अपराध के करने में उनकी संलिप्तता या प्राथमिकी संख्या 4/2018 के रूप में दर्ज की गई है। प्रेरित जाँच का आरोप बिना किसी आधार के है। रिट द्वारा कोई दावा नहीं किया गया है याचिकाकर्ताओं या नामित अभियुक्तों का कहना है कि पुणे शहर पुलिस द्वारा की गई जाँच दुर्भावनापूर्ण है। यदि आरोप वास्तव में दुर्भावनापूर्ण है, तो इस तरह के आरोप को साबित करने के लिए भौतिक तथ्यों का खुलासा किया जाना चाहिए था, जिसमें उस व्यक्ति का नाम भी शामिल है जिसके कहने पर ऐसा किया जा रहा है।

इस मामले में यह स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। विद्वान वकील के अनुसार, रिट याचिका में दावा की गई राहत इस न्यायालय के किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देती है।

19. उच्च-स्तरीय और कभी-कभी भावनात्मक बहसों के बाद

अंत में, प्रत्येक पक्ष अपने मामले को समान तीव्रता के साथ प्रस्तुत करता है, हमें न्यायाधीशों के रूप में पीछे बैठना पड़ता है और इस बात पर विचार करना पड़ता है कि कौन सही है या क्या मामले में कोई तीसरा पक्ष है। याचिकाकर्ताओं ने अपराध की जांच कर रही पुणे पुलिस की विश्वसनीयता और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की असहमति की आवाज को दबाने के प्रयास का मुद्दा उठाया है। दूसरे पक्ष ने समान उग्रता के साथ तर्क दिया कि पुणे पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई [2018] 11 एस. सी. आर. थी।

अपने वैधानिक कर्तव्य के निर्वहन में और पूरी तरह से उद्देश्यपूर्ण और

स्वतंत्र। यह अपराध की जांच के दौरान सामने आए ठोस तथ्यों पर आधारित था, जो राज्य को अस्थिर करने के लिए भयावह चाल की ओर इशारा करता था और विचारधाराओं में अंतर के कारण नहीं था, जैसा कि तथाकथित मानवाधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा दावा किया जाता है।

20. प्रतिद्वंद्वी को अपना चिंतित विचार देने के बाद

प्रस्तुत करने और दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों और दस्तावेजों पर विचार करने पर, इस तथ्य के साथ कि अब चार नामित अभियुक्तों ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और रिट के रूप में स्थानांतरित करने के लिए कहा है

याचिकाकर्ताओं, हमारे विचार के लिए निम्नलिखित व्यापक बिंदु उत्पन्न हो सकते हैंः

(i) क्या जांच एजेंसी को इसके कहने पर बदला जाना चाहिए

पाँच अभियुक्तों के नाम?

(ii) यदि बिंदु (i) का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या प्रार्थना की जा सकती है

अगले दोस्त के कहने पर उसी प्रकृति का मनोरंजन किया जाए

अभियुक्त या पी. आई. एल. की आड़ में?

(iii) यदि प्रश्न संख्या का उत्तर। (i) और/या (ii) ऊपर में है

सकारात्मक, क्या याचिकाकर्ताओं ने राहत के लिए एक मामला बनाया है

विशेष जाँच दल की नियुक्ति या न्यायालय को निर्देश देना एक स्वतंत्र जाँच एजेंसी द्वारा जाँच की निगरानी?

((iv) क्या अभियुक्त व्यक्ति को केवल इस आधार पर रिहा किया जा सकता है -

उसके अगले दोस्त (रिट याचिकाकर्ताओं) की धारणा है कि वह एक है

निर्दोष और कानून का पालन करने वाला व्यक्ति?

21. पहले बिंदु की ओर मुड़ते हुए, हमारा मानना है कि

मुद्दा अब समाकलन नहीं है। नर्मदा बाई बनाम गुजरात राज्य और अनुच्छेद 64 में, इस न्यायालय ने दोहराया कि यह सामान्य कानून है कि अभियुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति के मामले में उनकी कोई राय नहीं है। जाँच एजेंसी। इसके अलावा, अभियुक्त व्यक्ति यह नहीं चुन सकते हैं कि उनके द्वारा किए गए अपराध की जाँच किस जाँच एजेंसी को करनी चाहिए। इस निर्णय का अनुच्छेद 64 इस प्रकार हैः

" 64. ..... यह तुच्छ कानून है कि अभियुक्त व्यक्तियों के पास नहीं है एक जाँच एजेंसी की नियुक्ति के मामले में कहें।

अभियुक्त व्यक्ति यह नहीं चुन सकते हैं कि किस बारे में

जाँच एजेंसी को कथित अपराध की जाँच करनी चाहिए

उनके द्वारा प्रतिबद्ध "।

(जोर दिया गया)

(2011) 5 एस. सी. सी. 79 रोमिला थापर और ओ. आर. एस. वी. भारत और ओआरएस का संघ। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

22. फिर से संजीव राजेंद्र भट्ट बनाम भारत संघ और

Ors.[2], न्यायालय ने दोहराया कि अभियुक्त को जाँच के तरीके या अभियोजन के तरीके के संदर्भ में कोई अधिकार नहीं था। इस निर्णय का अनुच्छेद 68 इस प्रकार हैः

" 68. अभियुक्त को तरीके के संदर्भ में कोई अधिकार नहीं है। जाँच या अभियोजन का तरीका। कानून भी ऐसा ही है।

मायवती बनाम। भारत संघ 1, दीनूभाई बोघाभाई सोलंकी वी. गुजरात राज्य ', सी. बी. आई. बनाम राजेश गांधी ', प्रतियोगिता

भारत आयोग बनाम। सेल 'और जनता दल बनाम। एच. एस.

चौधरी। 8 "

(जोर दिया गया)

23. हाल ही में, ई. शिवकुमार मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने

बनाम भारत संघ और अन्य। ' , सी. बी. आई. द्वारा जाँच के निर्देश देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली "अभियुक्त" द्वारा दायर अपील पर विचार करते हुए पैराग्राफ 10 में कहा गया हैः

" 10. याचिकाकर्ता द्वारा आग्रह किए गए दूसरे आधार के संबंध में, हम

पता लगाएँ कि इस पहलू पर भी विधिवत विचार किया गया है विवादित निर्णय। विवादित फैसले के पैराग्राफ 129 में,

दीनूभाई बोघाभाई सोलंकी बनाम पर निर्भरता रखी गई है। गुजरात राज्य ", जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक रिट याचिका में

निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए, आरोपी का अधिकार नहीं था

नरेंद्र जी. गोयल बनाम महाराष्ट्र राज्य में रखा गया है। विशेष रूप से, रिपोर्ट किए गए निर्णय का अनुच्छेद 11 जिसमें

अदालत ने कहा कि यह अच्छी तरह से तय है कि आरोपी के पास नहीं है जाँचक चरणमे सुनबाक अधिकार। सौंपने से

सी. बी. आई. को जांच जो, जैसा कि ऊपर कहा गया है, में अनिवार्य था

2 (2016) 1 एस. सी. सी. 1 3 1993 सप. (4) एससीसी 260 4 (2012) 8 एससीसी 106

5 (2014) 4 एस. सी. सी. 626 6 (1996) 11 एस. सी. सी. 253 7 (2010) 10 एस. सी. सी. 344 8 (1991) 3 एस. सी. सी. 756 9 (2018) 7 एस. सी. सी. 365 1 0 सुप्रा @फुटनोट 51 (2009) 6 एस. सी. सी. 65 [2018] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्य, यह तथ्य कि याचिकाकर्ता रिट याचिका में एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया गया था या उस मामले के लिए सुनवाई नहीं की गई थी, हमारी राय में, कोई फायदा नहीं होगा। यह अपने आप में विवादित फैसले को अमान्य करार देने का आधार नहीं हो सकता है।

24. इस न्यायालय ने डिवाइन रिट्रीट सेंटर बनाम केरल राज्य और Ors.[1]2 के मामले में यह स्पष्ट किया है कि उच्च न्यायालय अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए जांच अधिकारी को नहीं बदल सकता है।

बीच में आकर अपनी पसंद के एक जांच अधिकारी को नियुक्त करें

जिसमें वे रुचि रखते हैं। अदालत ने तब स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए पीड़ित व्यक्ति के कहने पर हमेशा उचित निर्देश जारी कर सकता है यदि उच्च न्यायालय आश्वस्त है कि जांच की शक्ति का प्रयोग जांच अधिकारी द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया गया है। 25. चाहे जो भी हो, पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य राज्यों में प्रदर्शनी के लिए विज्ञापन देना उपयोगी होगा। बनाम संरक्षण समिति

लोकतांत्रिक अधिकार, पश्चिम बंगाल और उक्त निर्णय के अनुच्छेद 70 में संविधान पीठ ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 70. मामले से अलग होने से पहले, हम इस बात पर जोर देना आवश्यक समझते हैं कि अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त व्यापक शक्तियों के बावजूद

एक मामले में जांच का संबंध है, हालांकि यह तय करने के लिए कोई कठोर दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं कि ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं, लेकिन बार-बार यह दोहराया गया है कि इस तरह के आदेश को नियमित रूप से या केवल इसलिए पारित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि एक पक्ष ने स्थानीय पुलिस के खिलाफ कुछ आरोप लगाए हैं। इस असाधारण शक्ति का प्रयोग संयम से, सावधानी से और असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए जहां यह हो जाता है। विश्वसनीयता प्रदान करने और विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक

जाँच या जहाँ घटना राष्ट्रीय हो सकती है और

1 2 (2008) 3 एस. सी. सी 542

13 (2010) 3 एस. सी. सी. 571 रोमिला थापर और ओ. आर. एस. वी. भारत और ओआरएस का संघ। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव या जहां ऐसा आदेश पूर्ण न्याय करने और लागू करने के लिए आवश्यक हो सकता है

मौलिक अधिकार। अन्यथा सी. बी. आई. बड़ी संख्या में मामलों से भर जाएगी और सीमित संसाधनों के साथ, गंभीर मामलों की ठीक से जांच करना भी मुश्किल हो सकता है और इस प्रक्रिया में असंतोषजनक होने के साथ अपनी विश्वसनीयता और उद्देश्य खो सकता है।

जाँच "।

26. वर्तमान मामले में, पांच नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के तरीके पर सवाल उठाने के लिए कुछ परिस्थितियों को इंगित करने के अलावा जांच के तहत अपराध के साथ उन्हें जोड़ने के लिए कानूनी सबूत, कोई विशिष्ट सबूत नहीं

जाँच अधिकारी द्वारा शक्ति के दुर्भावनापूर्ण प्रयोग के बारे में याचिका में भौतिक तथ्य और विवरण पाए जाते हैं। एक अस्पष्ट और इस संबंध में अप्रमाणित दावा पर्याप्त नहीं है। बल्कि, एवरमेंट

याचिका में जैसा कि दायर किया गया था, गिरफ्तारी के तरीके के बारे में शुरू में प्रार्थना की गई राहत (ऊपर पैरा 7 में उल्लिखित) को समर्थन देना था। इसके अलावा, नामित अभियुक्तों (ए 16 से ए 20) के खिलाफ सबूतों की कमी की याचिकाकर्ताओं की याचिका पर जांच एजेंसी ने गंभीर रूप से विवाद किया है और चल रही जांच के दौरान पहले से ही एकत्र की गई सामग्री के लिए हमारी सराहना की है जो उनके अनुसार मिलीभुगत का संकेत देती है

अपराध के आयोग में उक्त अभियुक्त का। उक्त सामग्री के अवलोकन पर, हमारी यह सुविचारित राय है कि यह केवल व्यक्त किए गए असहमतिपूर्ण विचारों या नामित अभियुक्त की राजनीतिक विचारधारा में मतभेद के कारण गिरफ्तारी का मामला नहीं है, बल्कि प्रतिबंधित संगठन के सदस्यों और इसकी गतिविधियों के साथ उनके संबंधों के बारे में है। यह वह चरण नहीं है जहाँ सामग्री की प्रभावकारिता या उसकी पर्याप्तता का मूल्यांकन किया जा सकता है और न ही यह जांच करना संभव है कि क्या वह वास्तविक है या मनगढ़ंत है। हम इस मामले पर और विस्तार नहीं करना चाहते हैं ताकि यह नामित अभियुक्तों और सह-अभियुक्तों के लिए पूर्वाग्रह पैदा करे जो अदालत के समक्ष नहीं हैं। मान लीजिए कि नामित अभियुक्त पहले ही अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय के समक्ष कानूनी उपायों का सहारा ले चुके हैं और

लंबित हैं। यदि ऐसा है, तो वे ऐसे उपायों का लाभ उठा सकते हैं जो इस अवधि के दौरान विभिन्न चरणों में क्षेत्राधिकार न्यायालयों के समक्ष कानून में अनुमत हो सकते हैं।

जाँच के साथ-साथ जाँच के तहत अपराध का मुकदमा। जाँच के दौरान, जब उन्हें पुलिस द्वारा रिमांड प्राप्त करने के लिए या जमानत देने के लिए आवेदन के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा, और यदि उन्हें इस तरह की सलाह दी जाती है, तो वे उचित स्तर पर आरोपमुक्त करने या आपराधिक मामले को रद्द करने का विकल्प भी चुन सकते हैं, यदि विषय अपराध में उनकी संलिप्तता का संकेत देने के लिए कोई कानूनी सबूत नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

27. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय का सुसंगत दृष्टिकोण यह है कि अभियुक्त जांच को बदलने के लिए नहीं कह सकता है।

एजेंसी या किसी विशेष तरीके से जाँच करना जिसमें न्यायालय की निगरानी में जाँच भी शामिल है। रिट याचिका में दावा की गई पहली दो संशोधित राहतें, यदि वे स्वयं अभियुक्त द्वारा दी जाती हैं, तो उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। वर्तमान मामले में, मूल रिट याचिका उन व्यक्तियों द्वारा दायर की गई थी जो अगले मित्र होने का दावा करते हैं। संबंधित अभियुक्त (ए 16 से ए 20)। इनमें से सुधा भारद्वाज (ए 19), वरवरा राव (ए 16), अरुण फरेरा (ए 18) और वर्नोन गोंजाल्विस (ए 17) ने हस्ताक्षरित बयान दायर कर अनुरोध किया है कि विषय रिट याचिका में दावा की गई राहत को उनकी रिट याचिका के रूप में माना जाए। उस आवेदन को अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभियुक्तों ने स्वयं इसे चुना है

इस न्यायालय से संपर्क करें और राज्य द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति की पृष्ठभूमि में भी कि रिट याचिकाकर्ता पूरी तरह से अजनबी थे

जाँच के अधीन अपराध और उनके कहने पर रिट याचिका विचारणीय नहीं थी। इसलिए, हम यह मान लेंगे कि रिट याचिका अब स्वयं अभियुक्त द्वारा अपनाई जाती है और एक बार जब वे स्वयं याचिकाकर्ता बन जाते हैं, तो उनके कारण का समर्थन करने के लिए उपचार का पीछा करने वाले अगले मित्र के सवाल को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अगला मित्र तब तक प्रभावित अभियुक्त के कारण का समर्थन कर सकता है जब तक कि

संबंधित अभियुक्त किसी स्थिति में नहीं है या कानूनी उपचार का सहारा लेने में असमर्थ है और अन्यथा नहीं। 28. जो भी हो, हम इस तथ्य से अवगत हैं कि प्रार्थना खंड (i) और (ii) 2 जनवरी, 2018 को पिम्परी (शहरी) पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी संख्या 2/2018 का भी संदर्भ देते हैं। हालाँकि, यह एक अलग पुलिस स्टेशन में दर्ज एक स्वतंत्र प्राथमिकी है।

पुलिस स्टेशन। मान लीजिए कि 2018 की आपराधिक रिट याचिका (आई. डी. 1) अनीता आर. सावले (एफ. आई. आर. संख्या 2/2/2018 में शिकायतकर्ता) द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय में दायर की गई है। उस अपराध में जाँच एजेंसी। जैसा कि वर्तमान में सलाह दी गई है, हम राज्य के तर्क में बल पाते हैं कि एफ. आई. आर. संख्या 4/2018 में जांच के तहत अपराध, अन्य बातों के साथ-साथ इन आरोपों की जांच करना है कि एक प्रतिबंधित संगठन, सी. पी. आई. (एम.), विभिन्न वर्गों में दुर्भावना का प्रचार करने और उन्हें रोमिला थापर और ओ. आर. एस. में बदलने के लिए एफ. आई. आर. संख्या 2/2018 में संदर्भित कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

असंवैधानिक और हिंसक गतिविधियाँ। इसके अलावा, कबीर कला मंच, सुधीर धावले और अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अपमानजनक भाषण देकर और गलत इतिहास, विवादित बयान फैलाकर और आपत्तिजनक नारे लगाने, गीत और रोड ड्रामा गाने और आपत्तिजनक और उत्तेजक पर्चे और किताबें वितरित करके ऐसी गतिविधियों को कथित रूप से अंजाम दिया गया था। और यह कि भीमा कोरेगांव और आसपास के स्थानों पर हुई घटनाएं

पथराव, जाति संघर्ष और आगजनी की घटनाएं इस तरह की साजिश का परिणाम हैं। मामले को ध्यान में रखते हुए, एफ. आई. आर. संख्या 2/2/2018 के संबंध में संशोधित प्रार्थना खंड (i) और (ii) में दावा की गई राहत को नामित पांच अभियुक्तों के कहने पर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

एफ. आई. आर. संख्या 4/2018 में व्यक्ति विश्राम बाग पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए (पुणे शहर) 8 जनवरी, 2018 को या उस मामले में उनके अगले दोस्त।

29. इस कारण से, यह माना जाना चाहिए कि रिट याचिकाकर्ता, जो जांच के तहत अपराध के लिए अजनबी हैं (एफ. आई. आर. संख्या 4/2018 में); और

चूँकि वे केवल गिरफ्तार किए गए पाँच अभियुक्तों के कारण को अपने अगले मित्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए उन्हें राहत मांगने के लिए नहीं सुना जा सकता है जो अन्यथा स्वयं अभियुक्त को नहीं दी जा सकती है। क्या नहीं किया जा सकता प्रत्यक्ष रूप से, जनहित याचिका की आड़ में भी अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

30. हम राज्य के इस तर्क में बल पाते हैं कि जांच एजेंसी को बदलने की प्रार्थना को हल्के में नहीं लिया जा सकता है और

न्यायालय को उस शक्ति का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। नतीजतन, हमें यह विचार रखने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आरोपी के अगले मित्र के कहने पर जांच को स्थानांतरित करने के लिए रिट याचिका

स्वतंत्र जाँच एजेंसी या अदालत की निगरानी में जाँच को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जनहित याचिका के रूप में बहुत कम।

31. बिंदु संख्या के उत्तर के रूप में। (i) और (ii) नकारात्मक हैं और रिट याचिकाकर्ताओं और नामित अभियुक्तों के खिलाफ हैं, हम विस्तार नहीं करना चाहते हैं।

अभियुक्तों द्वारा उनकी गिरफ्तारी के तरीके के बारे में हमें बताई गई परिस्थितियों पर। क्योंकि, इस न्यायालय द्वारा इस संबंध में कोई भी अवलोकन उक्त अभियुक्त के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जिसमें सह-अभियुक्त भी शामिल हैं जो इस न्यायालय या अभियोजन पक्ष के समक्ष नहीं हैं, जिसे टाल दिया जाना चाहिए। हमारा विचार है कि विचाराधीन अपराध की जांच एक प्रारंभिक चरण में है और इसलिए, आगे विस्तार से बताना वांछनीय नहीं है क्योंकि संशोधित राहत (i) और (ii) जैसा कि अनुरोध किया गया है, पहले उल्लिखित कारणों के लिए प्रदान नहीं किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

32. यह हमें रिट याचिका में दावा की गई तीसरी संशोधित राहत की ओर ले जाता है जिसमें निर्देश जारी करने के लिए कहा गया है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति/आरोपी से कथित रूप से जब्त किए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, रिकॉर्ड और सामग्रियों की महाराष्ट्र राज्य के बाहर फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा जांच की जाए ताकि निष्पक्षता और न्याय के हित में सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रार्थना को भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। यदि बाईस नामित अभियुक्तों में से किसी एक को कोई शिकायत है या

उसी के बारे में आशंका होने पर, वह अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय के समक्ष वह अनुरोध करने के लिए स्वतंत्र है, जिस पर कानून के अनुसार उचित स्तर पर विचार किया जा सकता है। हम किसी भी तरह से कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं। उस संबंध में वर्तमान रिट याचिका।

33. चौथी संशोधित राहत कानून के अनुसार गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को हिरासत से रिहा करने का निर्देश देना है। अभियुक्त व्यक्तियों को इस राहत को उपयुक्त अदालत के समक्ष आगे बढ़ाना चाहिए, जिस पर संबंधित अदालत द्वारा कानून के अनुसार अपने गुण-दोष पर विचार किया जा सकता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, संबंधित अभियुक्त व्यक्ति पहले ही अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालयों के समक्ष उपचार का सहारा ले चुके हैं। इसलिए, वे कानून के अनुसार अपने लिए उपलब्ध सभी कानूनी उपायों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं। हम न तो इसकी रखरखाव के मुद्दे पर या उसमें दावा की जाने वाली राहतों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं। सभी प्रश्नों पर संबंधित न्यायालय द्वारा कानून के अनुसार विचार किया जाएगा। तदनुसार, चौथी संशोधित राहत पर भी विचार नहीं किया जा सकता है

वर्तमान रिट याचिका।

34. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमने पक्षों द्वारा उठाए गए तथ्यात्मक मुद्दों से निपटने से बचने की सलाह दी है और इसमें नामित मुद्दे भी शामिल हैं।

अभियुक्त का प्रतिनिधित्व हमारे समक्ष उनके वकील द्वारा किया गया, क्योंकि इस न्यायालय द्वारा की गई कोई भी टिप्पणी उनके या सह-अभियुक्त के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा कर सकती है जो इस न्यायालय या उस मामले के लिए अभियोजन मामले के समक्ष नहीं हैं। जिसके परिणामस्वरूप न्याय की गंभीर विफलता होती है। इसी तरह, हम पक्षकारों के वकील द्वारा भरोसा किए गए और प्रचार किए गए कानूनी प्रस्तावों से निपटने वाले अन्य रिपोर्ट किए गए निर्णयों के साथ निर्णय का बोझ नहीं उठाना चाहते हैं।

उनके द्वारा, जिनका वर्तमान रिट याचिका में उत्तर दिया जाना आवश्यक नहीं है।

35. हम जल्दबाजी में यह उल्लेख कर सकते हैं कि हमने संबंधित दस्तावेजों वाले रजिस्टरों और राज्य द्वारा प्रस्तुत केस डायरी का अध्ययन किया है। महाराष्ट्र से। लेकिन हमने उससे उभरने वाली तथ्यात्मक स्थिति पर विस्तार से बात करने से परहेज किया है, ताकि किसी भी तरह से किसी भी आरोपी या अभियोजन पक्ष के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा न हो।

रोमिला थापर और ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ।

36. राज्य द्वारा सीलबंद लिफाफे में न्यायालय को सौंपे गए अभिलेख/फाइल/दस्तावेज और केस डायरी को सीलबंद लिफाफे में राज्य के वकील को वापस कर दिया जाए।

37. तदनुसार, इस रिट याचिका का निपटान संबंधित अभियुक्त को उचित उपचार का सहारा लेने की स्वतंत्रता के साथ किया जाता है।

कानून में अनुमत। 29 अगस्त, 2018 को इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश चार सप्ताह की अवधि के लिए जारी रहेगा ताकि आरोपी संबंधित अदालत का रुख कर सके। उक्त कार्यवाहियों का निर्णय इस निर्णय में किए गए किसी भी अवलोकन से अप्रभावित अपने गुण-दोष पर किया जाएगा, जो जांच को एक स्वतंत्र जांच एजेंसी और/या अदालत की निगरानी वाली जांच को स्थानांतरित करने के लिए रिट याचिका में दावा की गई राहत तक सीमित है। जाँच अधिकारी कानून के अनुसार संबंधित अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। इस निर्णय के संदर्भ में सभी संगत आवेदनों का भी निपटारा किया जाता है। डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. 1. आपराधिक कानून और संवैधानिक अधिकारों के बीच के प्रतिच्छेदन ने न्यायिक मिसाल के विकास को जन्म दिया है जो इस न्यायालय में उत्पन्न होता है। हमारे हाल के निर्णय व्यक्तिगत गरिमा के मूल्य को दोहराते हैं जो एक लोकतांत्रिक जीवन शैली के लिए आवश्यक है।

लेकिन न्यायिक घोषणाओं में उच्च आदेशों का एक नागरिक के लिए कोई अर्थ नहीं हो सकता है जब तक कि मानव स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक खोज उन व्यक्तियों के लिए न्याय हासिल करने में तब्दील नहीं होती है जिनकी स्वतंत्रता विशिष्ट मामलों में खतरे में है। न्यायालय की भूमिका में विशेष रूप से संवेदनशील संतुलन शामिल होता है जब राज्य राज्य के खिलाफ अपराधों से जुड़े कथित उल्लंघनों की जांच करने की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना चाहता है। अभिरक्षा पूछताछ में विविध और अक्सर परस्पर विरोधी मूल्यों का संतुलन शामिल हैः आपराधिक न्याय का प्रभावी प्रशासन, जांच की एक निष्पक्ष प्रक्रिया और व्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा। इस मामले में अनुच्छेद 32 के तहत हमारे अधिकार क्षेत्र का आह्वान इस शिकायत पर आधारित है कि पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के एक समूह को हाशिए पर पड़े लोगों के कारण का समर्थन करने के लिए प्रताड़ित किया जाता है जिसे 'अलोकप्रिय' माना जाता है। चूंकि न्यायालय आपराधिक न्याय के प्रभावी प्रशासन में जनहित का है, इसलिए यह व्यक्ति की गरिमा को सुरक्षित करने के लिए प्रमुख संवैधानिक चिंता से अनजान नहीं हो सकता है। दोनों के बीच संतुलन की कुंजी अपराध की निष्पक्ष, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच में निहित है। सैद्धांतिक रूप से, मैं विद्वान मुख्य न्यायाधीश और मेरे विद्वान भाई न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर, [2018] 11 एस. सी. आर. द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत नहीं हूं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. 29 अगस्त 2018 को, अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को पांच प्रतिष्ठित शिक्षाविदों द्वारा 28 अगस्त 2018 को पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से संबंधित परिस्थितियों में "स्वतंत्र और व्यापक जांच" की मांग करने के लिए लागू किया गया था। पुणे पुलिस द्वारा गिरफ्तारी उनके घरों और कार्यालयों पर की गई छापेमारी के बाद हुई। गिरफ्तारी दिल्ली, फरीदाबाद, मुंबई, ठाणे और हैदराबाद में एक साथ हुई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि हमारे अधिकार क्षेत्र का उपयोग जांच में बाधा डालने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा नामित और पर्यवेक्षण के अधीन व्यक्तियों द्वारा एक स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच की जाए। याचिकाकर्ताओं का आग्रह है कि गैरकानूनी कानून के कठोर प्रावधानों का आह्वान किया जाए

वर्तमान मामले में गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यू. ए. पी. ए.) एक प्रयास है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर असहमति को चुप कराने के लिए

गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों, विशेष रूप से दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करना। यह रिट याचिका के प्रारंभिक कथनों में दिया गया है, जो यहां निकाला गया हैः

गिरफ्तार किए गए लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता हैं जो विशेष रूप से गरीब और हाशिए पर पड़े समुदायों, दलितों और आदिवासियों के बीच शांतिपूर्ण जन अधिकार आधारित आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे हैं। कई वर्षों से, देश के विभिन्न हिस्सों में। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ असाधारण और हिंसक गतिविधि के लिए यू. ए. पी. ए. का उपयोग, जब इन कार्यकर्ताओं द्वारा हिंसा के किसी भी कृत्य का कोई सबूत नहीं है, बहुत ही निराशाजनक है और इस माननीय न्यायालय द्वारा तत्काल हस्तक्षेप की मांग करता है।

शिकायत यह है कि उन पाँच व्यक्तियों को उनके विचारों के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है और एक आपराधिक अभियोजन द्वारा उनकी आवाज़ को शांत करने की कोशिश की जा रही है।

3. सबसे पहले, याचिकाकर्ताओं के स्थान के बारे मेंः

(i) पहली याचिकाकर्ता-रोमिला थापर एक प्रख्यात इतिहासकार और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एमेरिटस हैं। उन्हें केंद्र सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान करने के लिए दो मौकों पर चुना गया था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। रोमिला थापर को ब्रिटिश अकादमी और अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स और रोमिला थापर एंड ओआरएस के लिए चुना गया है।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

((ii) दूसरी याचिकाकर्ता, देवकी जैन एक अग्रणी नारीवादी अर्थशास्त्री हैं और योजना आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग सहित राष्ट्रीय निकायों और यू. एन. डी. पी. और दक्षिण आयोग सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़ी रही हैं। वह वह है। महिलाओं के अध्ययन में लगे दो संगठनों के संस्थापक सदस्य। वह 2006 में पद्म भूषण की प्राप्तकर्ता हैं, जो सामाजिक न्याय और महिलाओं के सशक्तिकरण में उनके योगदान के लिए भारत सरकार का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।

(iii) तीसरे याचिकाकर्ता, प्रभात पटनायक, एक रोड्स स्कॉलर थे और एक प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने तीन दशकों से अधिक समय तक जेएनयू में पढ़ाया। वे केरल योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष और वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर एक उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त राष्ट्र कार्य बल के सदस्य थे। ((iv) चौथे याचिकाकर्ता सतीश देशपांडे दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्री हैं। वह मैल्कम आदिशेषैया पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं।

विकास अध्ययन में विशिष्ट योगदान के लिए। वे प्रस्तावित समान अवसर आयोग पर केंद्र सरकार की विशेषज्ञ समिति के सदस्य थे। उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय और पेरिस में अतिथि नियुक्तियां की हैं; और

(5) पाँचवाँ याचिकाकर्ता, माजा दारूवाला, बोर्ड के सदस्य और राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल के वरिष्ठ सलाहकार हैं। उस में

वह देश में मानवाधिकार मानदंडों के कार्यान्वयन पर महत्वपूर्ण शोध से जुड़ी रही हैं। वह चालीस से अधिक वर्षों से अधिकारों और सामाजिक न्याय की वकालत के क्षेत्र में काम कर रही हैं।

4. जिन व्यक्तियों को 28 अगस्त 2018 को गिरफ्तार किया गया था और जिनकी ओर से ये कार्यवाही शुरू की गई थी, उनका वर्णन याचिका में इस प्रकार किया गया हैः

. आई 'इन गौतम नवलखा (मानवाधिकार कार्यकर्ता और पत्रकार नई दिल्ली)। वे पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स के अध्यक्ष थे और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली से जुड़े रहे हैं। वह समसामयिक मामलों पर एक प्रसिद्ध टिप्पणीकार हैं। राज्य ने छत्तीसगढ़ में वामपंथी चरमपंथियों द्वारा अपहृत व्यक्तियों की सुरक्षित वापसी के लिए बातचीत करने के लिए उन पर भरोसा किया।

8] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सुधा भारद्वाज (अधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, वर्तमान में

ii.

फरीदाबाद में रहने वाले) बिलासपुर उच्च न्यायालय के प्रमुख कारण वकील जिन्होंने छत्तीसगढ़ में श्रमिकों, गरीब और सीमांत किसानों और अन्य लोगों का प्रतिनिधित्व किया है। वह राष्ट्रीय हरित सचिव हैं।

पी. यू. सी. एल. और 2017 से राष्ट्रीय कानून में पढ़ा रहे हैं। विश्वविद्यालय, दिल्ली। भारतीय संघ के सदस्य के रूप में

जनता के वकीलों की वकालत करने वाली सुधा भारद्वाज हाल के दिनों में सुरेंद्र गाडलिंग जैसे वकीलों की गिरफ्तारी के खिलाफ मुखर थीं। सुधा भारद्वाज समितियों की सदस्य रही हैं और उन्होंने कानूनी प्रावधान किए हैं।

सहायता करता है और एक मान्यता प्राप्त मानवाधिकार रक्षक है।

iii. वरवर राव (आयु 79, हैदराबाद में स्थित, राजनीतिक कार्यकर्ता, टिप्पणीकार और प्रसिद्ध कवि)। वे अंग्रेजी के प्रोफेसर थे।

और तेलुगु साहित्य। अरुण फरेरा, (मुंबई) 2015 से वकील के रूप में काम कर रहे हैं और

iv.

मानवाधिकार कार्यकर्ता।

वर्नोन गोंजाल्विस (मुंबई), बॉम्बे से स्वर्ण पदक विजेता

वी.

वाणिज्य विश्वविद्यालय, सीमेंस में लेखा अधिकारी, तब

डेविड डेविडर की ए क्लच ऑफ में प्रकाशित मराठी से अंग्रेजी में भारतीय उत्कृष्ट कृतियाँ "।

उपरोक्त व्यक्तियों में से तीन पर पूर्व में मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता, 1860, शस्त्र अधिनियम, 1959 और यू. ए. पी. ए. के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था। कहा जाता है कि अरुण फेरेरिया को उनके खिलाफ दर्ज सभी ग्यारह मामलों में बरी कर दिया गया था। वर्नोन गोंजाल्विस को उनके खिलाफ स्थापित उन्नीस मामलों में से सत्रह में बरी कर दिया गया था (एक मामले में एक अपील लंबित है जहां वह दोषी ठहराए गए हैं जबकि एक मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष आरोपमुक्त करने का आवेदन लंबित है)। वरवर राव को उन सभी बीस मामलों में बरी कर दिया गया था जहां उन पर मुकदमा चलाया गया था।

5. सुनवाई के दौरान, एक प्रारंभिक आपत्ति थी

श्री तुषार मेहता, विद्वान ए. एस. जी. द्वारा इन कार्यवाहियों की रखरखाव के लिए उठाया गया। उन्होंने आग्रह किया कि याचिकाकर्ताओं को उपरोक्त पांच व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित परिस्थितियों पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। इस न्यायालय के लिए संवैधानिक अनिवार्यताओं को देखते हुए मैं इस तरह के तकनीकी तर्क को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं होता।

1 इन मामलों का विवरण लिखित के साथ संलग्न चार्ट ए, बी और सी में प्रस्तुत किया गया है।

विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. ए. एम. सिंघवी द्वारा दायर प्रस्तुतियाँ।

रोमिला थापर और ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

हस्तक्षेप तब किया जाता है जब मानव स्वतंत्रता और स्वतंत्रता को खतरे में डाला जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र किसी भी रूप में और किसी भी स्रोत से उत्पन्न होने वाले अन्याय तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। न्यायपालिका में मानव स्वतंत्रता और गरिमा को सुरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। स्वतंत्रता और स्वतंत्रता हमारे संविधान के मूल्यों को परिभाषित कर रहे हैं। एक संवैधानिक न्यायनिर्णायक के रूप में इस न्यायालय की संस्थागत भूमिका में ऐसी कोई तकनीकीता नहीं होनी चाहिए जो न्याय के उद्देश्य में बाधा उत्पन्न करती हो। जब नागरिकों का एक समूह

मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में एक भावपूर्ण याचिका के साथ इस न्यायालय का रुख किया है-वर्तमान मामले में राष्ट्र की सेवा का ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाले कम से कम पांच प्रतिष्ठित नागरिकों ने ऐसा किया है-न्यायालय को मामले के केंद्र में अधिकार क्षेत्र से परे देखना चाहिए। शिकायत में कोई सार है या नहीं, यह वास्तव में एक अलग मामला है जिसे निष्पक्ष रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए। न्यायालय प्रत्येक मामले में केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं करेगा क्योंकि उसका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच, आकलन और उपचार करना इसका कर्तव्य है। हालांकि, तकनीकी रूप से भी लोकस का मुद्दा पीछे हट गया है। सुनवाई के दौरान, अदालत को अवगत कराया गया है कि गिरफ्तार किए गए पांच व्यक्तियों में से प्रत्येक ने याचिका में दिए गए कथनों को स्वीकार कर लिया है और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इस अदालत के समक्ष जो आग्रह किया गया है, वह उसके साथ खड़ा रहेगा। मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, रखरखाव के लिए आपत्ति में सार का अभाव है।

6. एक संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की आवश्यकता है। 1 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ सौ सैनिक, जिनमें दलित शामिल थे,

पुणे के पास नदी। अपनी कई शैलियों की तरह, लड़ाई ने मुख्य रूप से दलितों की जीत के कारण एक महान स्थिति ग्रहण की है। तत्कालीन शहीदों को सम्मानित करते हुए, औपनिवेशिक सरकार ने एक विजय स्तंभ, 'विजय स्तंभ' खड़ा किया। यह स्तंभ जीत को चिह्नित करने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम के लिए एक प्रतीकात्मक रैली का मैदान है। यह आयोजन उन लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो हमारे समाज की जाति-ग्रस्त संरचना में भेदभाव और पूर्वाग्रह के अधीन रहे हैं। 7. परंपरा को ध्यान में रखते हुए, 31 दिसंबर 2017 को भीमा-कोरेगांव विजय की 200 वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक सार्वजनिक सभा निर्धारित की गई थी। कार्यक्रम से जुड़े लोगों में दो न्यायाधीश थेः उनमें से एक, न्यायमूर्ति पी. बी. सावंत इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। न्यायमूर्ति बी. जी. कोल्से पाटिल बंबई उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं

अदालत। इस कार्यक्रम की योजना पुणे के शनिवार वाड़ा में बनाई गई थी।

कबीर कला मंच के रूप में जाना जाने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का पर्यवेक्षण करना था। एल्गार परिषद को संबोधित करने वाले दो न्यायाधीशों के अलावा वक्ताओं में भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष श्री प्रकाश अंबेडकर भी शामिल थे

पार्टी। इस कार्यक्रम का शीर्षक थाः " भीमा-कोरेगांव शौर्य दिन-एल्गार परिषद "। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि 'एल्गर' एक स्पष्ट आह्वान है। राज्य इसे एक हमले का एक भयावह प्रतीक मानता है। 1 जनवरी 2018 को, भीमा-कोरेगांव में एक सांप्रदायिक अशांति हुई, जब, जैसा कि आरोप है, विजय स्तंभ को अभिवादन करने की प्रक्रिया में दलितों के एक समूह पर हमला किया गया। घटना की खबर पूरे महाराष्ट्र राज्य में फैल गई, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में हिंसक आंदोलन हुआ।

8. इन घटनाओं के बाद, 8 जनवरी 2018 को तुषार दामगुडे द्वारा घटना के संबंध में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। एफ. आई. आर. में विशेष रूप से निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम दिए गए हैंः

आई।

सुधीर धावले;

सागर गोराखे;

आई।

iii.

हर्षाली पोटदार;

iv.

दीपक ढेंगले;

वी. ज्योति जगतप; और

वी रमेश गेचोरे।

सुधीर धावले को 6 जून 2018 को गिरफ्तार किया गया था। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, 6 मार्च 2018 को दंड संहिता की धारा 120 बी को जोड़ा गया और दो और व्यक्तियों-सुरेंद्र गैडलिंग और रोना विल्सन-के शामिल होने का संदेह था। 17 अप्रैल 2018 को पुणे पुलिस ने निम्नलिखित व्यक्तियों के आवासों और कार्यालयों में तलाशी लीः

1 दिल्ली के निवासी रोना विल्सन;

2 नागपुर के निवासी सुरेंद्र गाडलिंग;

सुधीर धावले और हर्षाली पोटदार, मुंबई के निवासी;

3

सागर गोराखे, पुणे के निवासी;

5 पुणे के निवासी दीपक ढेंगले; और 6

पुणे के निवासी रमेश गेचोरे और ज्योति जगतप

पुणे शहर के सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि रोमिला थापर और ओआरएस के कंप्यूटर, लैपटॉप, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड से सामग्री बरामद की गई है।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

उपरोक्त अभियुक्त व्यक्तियों ने उन्हें सक्रिय सदस्यों के रूप में फंसाया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), एक प्रतिबंधित संगठन, और देश को अस्थिर करने की क्षमता रखने वाले अपराधों में शामिल होने की एक योजना को दर्शाता है। जाँच के आधार पर, 17 मई 2018 को निम्नलिखित व्यक्तियों के खिलाफ यू. ए. पी. ए. की धारा 13,16,17,18,18 बी, 20,38,39 और 40 के प्रावधान लागू किए गए थेः

((ii) रोना विल्सन; ((ग) शोमा सेन;

(v) कॉमरेड एम. उर्फ मिलिंद तेलतुम्बडे (भूमिगत); (vi) कॉमरेड प्रकाश उर्फ नवीन उर्फ ऋतुपर्ण गोस्वामी

(भूमिगत);

(vii) कॉमरेड मंगलू (भूमिगत); और (viii) कॉमरेड दीपू और अन्य भूमिगत सदस्य।

6 जून 2018 को पाँच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था जिनके नाम थेः

((i) सुरेंद्र गाडलिंग;

((ii) रोना विल्सन;

((iv) शोमा सेन; और (v) महेश राउत।

सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि उपरोक्त व्यक्तियों की तलाशी के दौरान बरामद सामग्री के आधार पर जिन पांच व्यक्तियों की ओर से वर्तमान कार्यवाही शुरू की गई है, वे आपराधिक साजिश का हिस्सा पाए गए हैं। काउंटर में एवरमेंट इस प्रकार हैः

" मैं कहता हूं और प्रस्तुत करता हूं कि उपरोक्त व्यक्तियों की तलाशी से बरामद उपरोक्त सामग्री के आधार पर [जो है

केस डायरी का एक हिस्सा और जिसके लिए रखा जाएगा

सीलबंद लिफाफे में इस माननीय न्यायालय के विचार और अवलोकन में निम्नलिखित व्यक्तियों को भी स्पष्ट रूप से आपराधिक साजिश का हिस्सा पाया गया और उनकी भूमिका केवल परिधीय भूमिका (2018) 11 एस. सी. आर. नहीं थी।

लेकिन वे दूसरों द्वारा किए गए आपराधिक अपराधों और/या योजनाबद्ध अपराधों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते पाए गए। उक्त आपत्तिजनक सामग्री के आधार पर, निम्नलिखित व्यक्ति सामने आएः आई. डी. 1 पर गिरफ्तार किया गया और सरकारी अधिकारी व्यक्तिगत पंचों की उपस्थिति में वीडियोग्राफी के तहत उनके आवासीय/कार्यस्थलों पर इसी तरह तलाशी ली गई।

वर वर राव आर/ओ हैदराबाद

1

2

अरुण फरेरा आर/ओ ठाणे

3

वर्नोन गोंजाल्विस आर/ओ मुंबई

सुधा भारद्वाज निवासी फरीदाबाद

4

5

गौतम नवलखा निवासी दिल्ली "

उनटर का आरोप है कि पाँच व्यक्तियों में से प्रत्येक को "प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन"-भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के सक्रिय सदस्य के रूप में काम करते हुए पाया गया है। जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 26 में बताया गया है कि जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री से उनमें से प्रत्येक को गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल पाया गया है।

" अन्य लोगों से एकत्र की गई सामग्री, जिसके आधार पर ऊपर नामित पांच अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि वे 'संघर्ष क्षेत्र' में भूमिगत होने के लिए कैडरों का चयन करने और उन्हें प्रोत्साहित करने, धन जुटाने और वितरित करने, हथियारों के चयन और खरीद को सुविधाजनक बनाने, कैडरों के बीच इसके आगे के वितरण के लिए भारत में ऐसे हथियारों की दरें तय करने में शामिल थे। उनमें से कुछ ने प्रशिक्षण और बिछाने का सुझाव दिया है बूबी ट्रैप और दिशात्मक खानें। वे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के रणनीतिक दस्तावेज के अनुसार सशस्त्र विद्रोह के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतिक जानकारी भी प्रदान करते पाए गए हैं।

मुकदमे की सुनवाई शुरू में 29 अगस्त 2018 को हुई थी। पाँच व्यक्तियों को नजरबंद करने के लिए अंतरिम आदेश जारी किए गए थे।

उनके वकील द्वारा किए गए अनुरोध के बारे मेंः

" हमने अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना पर विचार किया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में श्री गौतम नवलखा और सुश्री सुधा भारद्वाज के पास रोमिला थापर और ओआरएस है।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

घर में नजरबंद रखा गया। उनके द्वारा यह सुझाव दिया जाता है कि एक अंतरिम उपाय के रूप में, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है यदि यह अदालत आदेश देती है कि श्री वरवर राव, श्री अरुण फरेरा और श्री वर्नोन गोंजाल्विस को अगर गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें उनके अपने घरों में नजरबंद रखा जाता है। हम उसी के अनुसार आदेश देते हैं। श्री गौतम की नजरबंदी नवलखा और सुश्री सुधा भारद्वाज का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।

हमारे आदेशों से।

चूंकि मामले की सुनवाई हो रही थी, तब से इस अदालत के 6 सितंबर 2018 और 17 के अंतरिम निर्देशों द्वारा नजरबंदी बढ़ा दी गई है। सितम्बर 2018। सुनवाई के दौरान, इस न्यायालय के निर्देशों के तहत एक विशेष जांच दल के गठन की मांग करने के लिए रिट याचिका में औपचारिक रूप से संशोधन करने की अनुमति मांगी गई है, ताकि एक स्वतंत्र जांच सुनिश्चित की जा सके।

9. वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलों को उजागर करते हुए कहा कि इस संबंध में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट

1 जनवरी 2018 को हुई हिंसा (एफ़. आई. आर. 2/2018) अनीता आर. सावले द्वारा 2 जनवरी 2018 को पी. एस. पिम्परी में दर्ज कराई गई थी। एफ़. आई. आर. में आरोप लगाया गया है कि तलवारों, छड़ों और अन्य हथियारों से लैस भीड़ ने दलितों के खिलाफ हिंसा की थी। एफ. आई. आर. में विशेष रूप से शिवाजीनगर प्रतिष्ठान नामक संगठन के प्रमुख संभाजी भिडे और हिंदू जनजागरन समिति के प्रमुख मिलिंद एकबोटे को अपराधियों और साजिशकर्ताओं के रूप में नामित किया गया है। संभाजी भिडे को गिरफ्तार नहीं किया गया है जबकि मिलिंद एकबोटे को गिरफ्तार किया गया है।

कहा जाता है कि गिरफ्तारी के एक महीने के भीतर उसे जमानत मिल गई। एफ. आई. आर. दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम और एससी/एसटी अधिनियम 2 के तहत अपराधों से संबंधित है। यू. ए. पी. ए. का कोई प्रावधान लागू नहीं किया गया है। चूंकि पुलिस कथित रूप से प्राथमिकी की जांच नहीं कर रही थी, इसलिए बॉम्बे उच्च न्यायालय 3 के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई है। तुषार दामगुडे द्वारा 8 जनवरी 2018 को पीएस विश्रामबाग में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिस पर संभाजी भिडे का स्वयंभू अनुयायी होने का आरोप है। एफ़. आई. आर. 31 दिसंबर को एल्गार परिषद में सुधीर धावले द्वारा दिए गए एक भाषण का विज्ञापन है।

2017 जिसमें कथित तौर पर एक भड़काऊ भाषण दिया गया था, जिसमें निम्नलिखित पंक्तियाँ थीं:

" जब जुल्म हो तो बागावत होनी चाहिये शहर में, जब जुल्म हो तो बागावत होनी चाहे शहर में, और अगर बागावत ना हो तो व्यवहार करने के लिए वह के, ये रात ढालने से पहले ये शहर जलकर रख हो जाए, यशात्रा हे, ये सत्र की उपाधि ही, अपने आप में,

2 अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 3 आपराधिक रिट याचिका 1875/2018 [2018] 11 एस. सी. आर.

लाढहाई के ऐलन हैं, ये नई पेशवाई को हमको शामशान घाट

मे, कब्रस्तान मे डफना हे। ” ”

1 जनवरी 2018 को भीमा-कोरेगांव। इसके अलावा, निवेदन के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य ने मिलिंद एकबोटे की अग्रिम जमानत का इस आधार पर विरोध किया कि हिंसा उनके और अन्य लोगों द्वारा पूर्व नियोजित साजिश के एक हिस्से के रूप में की गई थी। लगभग नौ महीने बाद पाँच व्यक्तियों की गिरफ्तारी प्रभावित हुई। 10. डॉ. सिंघवी के निवेदन का अगला अंग यह है कि कुछ पत्र जो कथित रूप से गिरफ्तार कार्यकर्ताओं द्वारा लिखे गए हैं, वे प्रत्यक्ष रूप से मनगढ़ंत हैं। इन पत्रों को कथित तौर पर पुलिस ने एक आरोपी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से बरामद किया है, जिस पर अप्रैल 2018 के महीने में छापा मारा गया था और जिसे जून 2018 में गिरफ्तार किया गया था। महाराष्ट्र राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) श्री परमबीर सिंह 1 सितंबर 2018 को एन. डी. टी. वी. पर "ट्रुथ वी हाइप" नामक एक टेलीविजन कार्यक्रम में दिखाई दिए और कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा मीडिया के सामने रखे गए पत्रों का सत्यापन किया जाना बाकी है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पुलिस द्वारा ऐसे तेरह कथित पत्रों को मीडिया में लीक किया गया था। वे अब सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध हैं। प्रस्तुत किए गए इन पत्रों का उल्लेख पुणे पुलिस द्वारा संबंधित अदालत के समक्ष दायर पारगमन आवेदनों में भी नहीं मिलता है। ये पत्र अहस्ताक्षरित हैं और इनमें ई-मेल पते या शीर्षक सहित कोई पहचान योग्य विवरण नहीं हैं। दिलचस्प बात यह है कि वसूली किसी तीसरे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से की गई है जो न तो

लेखक और न ही पत्रों के प्राप्तकर्ता। इसलिए, यह आग्रह किया गया है किः

(i) जबकि यह आरोप लगाया गया था कि एक कथित पत्र में प्रधानमंत्री के खिलाफ एक साजिश का खुलासा किया गया है, यह उल्लेखनीय है कि पुलिस द्वारा कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है और पुणे पुलिस द्वारा भीमा-कोरेगांव हिंसा से संबंधित प्राथमिकी 4/2018 के तहत जांच जारी है।

(ii) राज्य साजिश के सिद्धांत को गंभीरता से नहीं ले रहा है जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है और जांच पुणे पुलिस के पास बनी हुई है; और रोमिला थापर और ओआरएस।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

पुणे नगर निगम के कर्मचारी। दोनों पंच गवाहों ने पुणे पुलिस के साथ यात्रा की और वे गवाह हैं। इसलिए यह प्रस्तुत किया गया है कि इसका स्पष्ट उल्लंघन हुआ है दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 41 बी में शुरू किए गए सुरक्षा उपाय। सुधा भारद्वाज के पारगमन रिमांड आवेदन में, पुणे पुलिस ने 28 अगस्त 2018 को सीजेएम, फरीदाबाद की अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि उसकी रिमांड आवश्यक थी क्योंकि जून 2018 में गिरफ्तार किए गए अन्य व्यक्तियों ने इस संबंध में खुलासा बयान दिए थे।

12. संक्षेप में, डॉ. सिंघवी ने आग्रह किया कि 28 अगस्त 2018 को गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति मानवाधिकारों के सक्रिय समर्थक हैं। उन्होंने मानवाधिकारों के उल्लंघन पर रुख अपनाया है। निवेदन यह है कि यह लक्षित उत्पीड़न मानव [2018] 11 एस. सी. आर. के बीच भय पैदा करने के लिए है।

अधिकारों के वकीलों, कार्यकर्ताओं और लेखकों को सरकारी नीतियों और पुलिस कार्यों के खिलाफ बोलने या उनकी आलोचना करने से रोकने के लिए। का उत्पीड़न

यह आग्रह किया गया है कि यह प्रकृति कानून के शासन की नींव को हिला देगी और संविधान द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं को भ्रामक बना देगी। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इन कार्यवाही का उद्देश्य नहीं है

जाँच को विफल करने के लिए लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि जाँच निष्पक्ष और निष्पक्ष हो। यह आग्रह किया गया कि मिसाल की एक लंबी कतार में, इस अदालत ने विशेष जांच दल (एस. आई. टी.) या अदालत के गठन का आदेश दिया है।

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जांच की निगरानी। वर्तमान मामले में, यह आग्रह किया गया था कि जिन तथ्यों को पहले स्वीकार किया गया है

न्यायालय इंगित करता है कि जाँच निष्पक्ष और निष्पक्ष रही है। शासी शासन के विरोध के लिए मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को निशाना बनाना लोकतांत्रिक मूल्यों का गंभीर उल्लंघन है और इसके लिए या तो एस. आई. टी. की स्थापना या इस न्यायालय द्वारा जांच की निगरानी की आवश्यकता है। 13. दूसरी ओर, विद्वान ए. एस. जी. श्री तुषार मेहता ने निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह किया हैः

(i) जनहित याचिका की आड़ में आपराधिक मामले में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है। आदेश पर एक पी. आई. एल. बनाए रखने योग्य नहीं है।

राहत पाने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति का, जो केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 या 439 और धारा 482 के तहत दिया जा सकता है (राजीव रंजन सिंह 'ललन' (VIII) बनाम भारत संघ, 4 गुलजार अहमद

आजमी बनाम भारत संघ, 5 सिमरजीत सिंह मान बनाम भारत संघ और अशोक कुमार पांडे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। (ii) वर्तमान मामले में प्रक्रिया का दुरुपयोग हो रहा है क्योंकि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से तीन-वरवर राव, सुधा भारद्वाज और गौतम नवलखा ने अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालयों के समक्ष याचिकाएं दायर की हैं जो निर्णय के लिए लंबित हैं। इसलिए उन्हें स्थानांतरित करने या याचिका में कथनों को अपनाने के लिए उनकी प्रार्थना की अनुमति देना अस्वीकार्य होगा (प्रतिभा रमेश पटेल बनाम भारत संघ 3, उद्यमी एवं खादी ग्रामोद्योग कल्याण संस्था बनाम उत्तर प्रदेश राज्य);

4 (2006) 6 एस. सी. सी. 613 $ 5 (2012) 10 एससीसी 731 6 (1992) 4 एससीसी 653 7 (2004) 3 एससीसी 349 8 (2016) 12 एससीसी 375 9 (2008) 1 एससीसी 560 रोमिला थापर और ओआरएस।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

((iii) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 और 439 के तहत राहत पाने के उद्देश्य से अनुच्छेद 32 के तहत एक जनहित याचिका बनाए रखने योग्य नहीं होगी।

(iv) बंदी प्रत्यक्षीकरण के एक रिट की प्रकृति में राहत, जो अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान कार्यवाही में मांगी गई है, बनाए रखने योग्य नहीं हैं (महाराष्ट्र राज्य बनाम तानसेन रिजवान सिद्दीकी 1);

(v) अभियुक्त को अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने या किसी विशेष एजेंसी को जांचकर्ता के रूप में रखने का निहित अधिकार नहीं है; और

(vi) वर्तमान मामले में जांच सहायक पुलिस आयुक्त रैंक के एक अधिकारी द्वारा जिम्मेदारी से और निष्पक्ष रूप से की जा रही है। जाँच एक पुलिस उपायुक्त की देखरेख में की जा रही है और इसकी निगरानी संयुक्त पुलिस आयुक्त द्वारा की जा रही है जो एक अतिरिक्त महानिदेशक के पद का है। 14. इन कार्यवाहियों पर विचार करते समय, यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि आम तौर पर, जब किसी आपराधिक अपराध की जांच चल रही होती है, तो दंड संहिता द्वारा अधिकार और उपचार प्रदान किए जाते हैं।

प्रक्रिया। इसलिए, यह साधारण कानून है कि रिमांड, जमानत (अग्रिम जमानत सहित) और कार्यवाही को रद्द करने जैसे जांच के दौरान या उससे संबंधित मामलों में संहिता के प्रावधानों का सहारा लिया जाना चाहिए। एएसजी द्वारा जिन निर्णयों का उल्लेख किया गया है, उनमें इन सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया है। राजीव रंजन सिंह (उपरोक्त) मामले में मुकदमा एक आपराधिक मामले में शुरू हुआ था जिसमें ज्ञात स्रोत से अधिक धन जमा करने का आरोप था।

लोक सेवक की आय। इस अदालत ने माना कि एक जनहित याचिका एक राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है और यह लंबित आपराधिक कार्यवाही के लिए अलग होगी। याचिकाकर्ता वास्तविक रूप से शिकायतकर्ता नहीं थे और यदि उन्हें लोक अभियोजक को हटाने के संबंध में कोई शिकायत थी, तो उन्हें जल्द से जल्द विशेष न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का रुख करना चाहिए था। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि किसी तीसरे पक्ष के कहने पर कोई भी हस्तक्षेप न्याय के पाठ्यक्रम को प्रभावित करने के लिए उत्तरदायी है और निष्पक्ष सुनवाई से इनकार करके आरोपी को पूर्वाग्रह भी दे सकता है। गुलजार अहमद आजमी (ऊपर) में अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका में 2002 के बाद से सभी बम विस्फोट मामलों की जांच की मांग की गई थी, जिसमें जमानत पर बंदियों को रिहा करने का निर्देश दिया गया था। उस संदर्भ में, इस न्यायालय ने माना कि पर्याप्त सुरक्षा उपाय थे

आपराधिक कानून के तहत उपलब्ध है और यह व्यक्ति के खिलाफ था

जिसे उसके उपचार पर काम करने के लिए आपराधिक कार्यवाही दर्ज की जाती है। सिमरजीत सिंह मान (उपरोक्त) मामले में न्यायालय ने अनुच्छेद 32 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, जहां याचिकाकर्ता ने अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने की मांग नहीं की, बल्कि दो के मौलिक अधिकारों की निंदा की।

दोषी "जिन्होंने स्वयं उल्लंघन की शिकायत नहीं की थी। इस न्यायालय ने कहा कि यह "किसी भी और प्रत्येक व्यक्ति" के लिए किसी दोषसिद्धि को चुनौती देने के लिए खुला नहीं है और जब तक कि पीड़ित व्यक्ति कानून द्वारा मान्यता प्राप्त विकलांगता से पीड़ित नहीं है, तब तक किसी तीसरे पक्ष या अजनबी को दोषसिद्धि और मुकदमे के बाद लगाए गए दंड की शुद्धता पर सवाल उठाने की अनुमति देना असुरक्षित और खतरनाक होगा। अशोक कुमार पांडे (ऊपर) में पहले के निर्णय में भी इन सिद्धांतों का उल्लेख किया गया था। वे अच्छी तरह से बसे हुए हैं। एक अदालत के रूप में जो पूर्ववर्ती द्वारा शासित है, हम उनसे और प्राधिकरण की एक सुसंगत रेखा से बंधे हैं जिसके लिए आवश्यक है कि

जाँच, यह सक्षम न्यायालय के लिए है कि एक अभियुक्त को आम तौर पर उन उपायों के लिए जाना चाहिए जो आपराधिक कानून के मूल या प्रक्रियात्मक प्रावधानों के तहत उपलब्ध हैं।

15. लेकिन वर्तमान मामले में, न्यायालय के लिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अनुच्छेद 32 के तहत अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र का सहारा लेने के लिए

न केवल याचिकाकर्ताओं द्वारा बल्कि 28 अगस्त 2018 को गिरफ्तार किए गए पांच व्यक्तियों द्वारा भी इसका आह्वान किया गया था। याचिका 29 अगस्त 2018 को इस अदालत के समक्ष दायर की गई थी, जब, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था जिसमें निर्देश दिया गया था कि पांच गिरफ्तार व्यक्तियों को नजरबंद किया जाए। जल्द से जल्द संभव समय पर, इन पाँच व्यक्तियों ने इस न्यायालय का रुख करते हुए संकेत दिया है कि वे याचिका में मांगे गए कथनों और राहतों का पालन करते हैं और मांग करते हैं कि उन्हें अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाकर्ताओं के रूप में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलीलों में नहीं कहा है

दंड संहिता के तहत सक्षम अदालत के समक्ष उपलब्ध उपचार का समर्थन करने के लिए इस अदालत के अधिकार क्षेत्र का सहारा लेना।

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से संबंधित परिस्थितियाँ। संशोधन के लिए एक आवेदन द्वारा राहतों में संशोधन करने की मांग की गई है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ एक विशेष जांच दल के गठन की मांग की जा सके। इस न्यायालय द्वारा निगरानी की गई)। स्पष्टता के लिए, उपरोक्त उत्कीर्णन नीचे निकाले गए हैं:

रोमिला थापर और ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ।

जे.]

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़,

" i) इसकी स्थापना के लिए एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

एक विशेष जांच दल (एस. आई. टी.) जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हैं पेशेवरता के त्रुटिहीन कैरियर रिकॉर्ड वाले अधिकारी,

न्यायालय, एक निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच करने के लिए और पिम्परी में दर्ज शून्य प्राथमिकी में बताए गए अपराधों की जांच

02.01.2018 (अब Cr.Case नहीं 2/2018) पर पुलिस स्टेशन, और

08.01.2018 पर विश्रामबाग पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई प्राथमिकी 4/2018

या

(ii) जाँच के लिए एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

पिम्परी पुलिस में दर्ज शून्य प्राथमिकी में कथित अपराधों में स्टेशन 02.01.2018 (अब Cr.Case नहीं 2/2018), और एफ़. आई. आर. 4 /

2018 08.01.2018 पर विश्रामबाग पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया, और

द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अन्य सभी संबंधित मामले और आरोप

स्वतंत्र अभिकरण जिसकी सीधे इसके द्वारा निगरानी की जाएगी।

माननीय न्यायालय की स्थिति रिपोर्ट नियमित रूप से दाखिल करना जाँच एजेंसी द्वारा जाँच; "

16. यद्यपि विशेष की नियुक्ति की प्रार्थना

जाँच दल को संशोधन के लिए एक आवेदन के माध्यम से पेश करने की मांग की गई है, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि याचिका में जैसा कि यह मूल रूप से दायर किया गया था, यह कहा गया है कि याचिका का उद्देश्य जाँच को रोकना नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र और विश्वसनीय सुनिश्चित करना है।

जांच पड़ताल की। इस संबंध में प्रासंगिक कथन इस प्रकार हैः

" याचिकाकर्ता क्षरण के बारे में गंभीर रूप से चिंतित हैं

लोकतांत्रिक मूल्य और इस माननीय न्यायालय को रुकने के लिए नहीं ले जा रहे हैं आरोपों की जांच लेकिन स्वतंत्र और सुनिश्चित करने के लिए

ऐसे व्यक्तियों द्वारा विश्वसनीय जाँच जो उचित समझी जाए। इस माननीय न्यायालय की देखरेख में। इससे कम कुछ भी नहीं।

यह राष्ट्र के ताने-बाने को अपूरणीय क्षति पहुंचाएगा "।

(जोर दिया गया)

संशोधन के लिए आवेदन, दूसरे शब्दों में, एक नया मामला स्थापित नहीं करता है, लेकिन याचिका में पहले से ही किए गए कथनों के आधार पर एक औपचारिक प्रार्थना शुरू करने का इरादा है क्योंकि यह मूल रूप से दायर किया गया था।

17. इस न्यायालय को एक संवैधानिक न्यायनिर्णायक के रूप में सौंपा गया है

संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत मौलिक स्वतंत्रताओं को सुरक्षित करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र के साथ। जबकि [2018] 11 एस. सी. आर. का अनुशासन

आपराधिक प्रक्रिया के कानून को हर समय ध्यान में रखा जाना चाहिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि मौलिक स्वतंत्रताओं का संरक्षण लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों के लिए इतना अभिन्न विषय है कि तकनीकीताओं को मूल न्याय के कारण को ओवरराइड करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अदालत को निस्संदेह

अनुच्छेद 32 के तहत अपने व्यापक अधिकार क्षेत्र तक पहुंच की आड़ में, आपराधिक कानून के तहत सामान्य उपायों को विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। एक बार फिर, जैसा कि अदालत ने बार-बार जोर दिया है, जनहित याचिका को राजनीतिक मामलों को निपटाने या बाहरी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक हथियार नहीं बनना चाहिए। वर्तमान मामले में, हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही की शुरुआत बाहरी कारणों से प्रेरित नहीं है। कानून सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक स्थिति का सम्मान नहीं करता है और न्याय तक पहुंच की मांग करने वाले प्रत्येक वादी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। यहाँ पाँच नागरिक हैं जिन्होंने असाधारण परिस्थितियों में इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू किया है।

जहाँ वे दावा करते हैं कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के एक समूह को राज्य पुलिस द्वारा निशाना बनाया गया है। उन पाँच व्यक्तियों में से प्रत्येक इन कार्यवाही में शामिल हो गया है।

18. पिछले दशक के दौरान, इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र एस. आई. टी. के गठन का आदेश देने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत विकसित हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाम गुजरात राज्य मामले में, 1 "ए एस. आई. टी.

सांप्रदायिक वैमनस्य के एक गंभीर तत्व से जुड़े मामले में गठित किया गया था। एस. आई. टी. (एन. एच. आर. सी. बनाम गुजरात राज्य) द्वारा दाखिल की जाने वाली नियमित स्थिति रिपोर्ट के लिए इस न्यायालय द्वारा आगे के निर्देश जारी किए गए थे। राम जेठमलानी बनाम भारत संघ, 1 3 में इस न्यायालय ने कहा कि अतीत में कई उदाहरणों में, जब मुद्दे जटिल प्रकृति के थे, फिर भी न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता थी, तो एस. आई. टी. का गठन करने का आदेश दिया गया था ताकि न्यायालय, केंद्र सरकार और राज्य के अन्य अंग अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा कर सकें। कॉमन कॉज बनाम भारत संघ, 14 1 4 में एस. आई. टी. के गठन के लिए परीक्षण केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक द्वारा कोयला ब्लॉक आवंटन की जांच और जांच को बाधित करने के लिए शक्ति और अधिकार का प्रथम दृष्टया दुरुपयोग था। सुनीता देवी बनाम भारत संघ मामले में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष एस. आई. टी.

13 (2011) 8 एससीसी 1 1 4 14 (2017) 3 एससीसी 501

15 (2018) 3 एस. सी. सी. 664 रोमिला थापर और ओ. आर. एस. वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

ये उदाहरण उस व्यवस्था की विविधता को दर्शाते हैं जिसमें इस न्यायालय ने एस. आई. टी. के गठन का आदेश दिया है। इस अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में निर्णायक लचीलापन उन आवश्यकताओं को पूरा करता है जो अप्रत्याशित स्थितियों में उत्पन्न होती हैं, जो अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय के हस्तक्षेप की गारंटी देती हैं। जबकि न्यायालय जाँच के पाठ्यक्रम को निर्धारित नहीं करता है, यह यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है कि एक निष्पक्ष जाँच हो। कानून के शासन के संरक्षण और स्वतंत्रता के अंतिम विश्लेषण के लिए एक निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच महत्वपूर्ण है।

और उस अधिकारिता का दायरा जिसे संविधान निर्माताओं द्वारा सलाह के साथ इस न्यायालय को सौंपा गया है। तथ्य यह है कि एक विशेष मामले में, एक एस. आई. टी. के गठन का आदेश ऐसी स्थिति में दिया गया था जहां राजनीतिक दल द्वारा जांच में हस्तक्षेप का आरोप लगाया गया था। प्रतिष्ठान अधिकारिता के प्रयोग को केवल ऐसे मामलों तक सीमित रखने का कारण नहीं है। अधिकारों के विमर्श में, कानून के उल्लंघन और मानवाधिकारों के उल्लंघन असंख्य स्थितियों में उत्पन्न होते हैं जिनका पूरी तरह से अनुमान लगाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए विवेकपूर्ण रूप से, अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र तकनीकी रूप से सीमित नहीं है और न ही इसे उल्लिखित श्रेणियों तक सीमित रखना बुद्धिमानी होगी। अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए अंतिम कसौटी यह है कि संविधान के भाग III के तहत स्वतंत्रता, गरिमा और समानता के मूल मूल्यों से संबंधित मौलिक मानव स्वतंत्रताओं का उल्लंघन मुद्दा है।

20. एस. आई. टी. के गठन का आदेश देने के अधिकार क्षेत्र के अलावा, इस न्यायालय की कार्यवाही ऐसे उदाहरणों से भरी हुई है जहाँ

इस न्यायालय के अधिकार के तहत जांच की निगरानी की गई है। विनीत नारायण बनाम भारत संघ, 16 में इस न्यायालय ने व्यापक रूप से प्रचारित जैन हवाला लेनदेन मामले के संदर्भ में एक अदालत का आदेश दिया

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकारी एजेंसियां समानता और कानून के शासन के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन करती हैं, जांच की निगरानी करती हैं। ऐसा करते हुए, इस न्यायालय ने जांच की प्रक्रिया में जनता का विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। बाबूभाई जमनादास पटेल बनाम गुजरात राज्य के मामले में, दो न्यायाधीशों की पीठ ने उस जांच पर ध्यान देते हुए कहा

16 (1996) 2 एससीसी 199 17 (2009) 9 एससीसी 610 [2018] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपराधों की जाँच आम तौर पर जाँच एजेंसी का कार्य होता है।

इस बात पर जोर दिया कि जहां असाधारण तथ्य या परिस्थितियां शामिल हैं, यह उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय का कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करें कि नागरिकों के अधिकारों की विधिवत रक्षा की जाए:

" अदालतें, और विशेष रूप से उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, न्याय के प्रहरी हैं और उन्हें न्यायिक समीक्षा और पर्यवेक्षण की असाधारण शक्तियां दी गई हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि

कि नागरिकों के अधिकारों की विधिवत रक्षा की जाए।

सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाम भारत संघ, 18 में एक जनहित याचिका में अदालत की निगरानी में जांच का आदेश दिया गया था, जिसमें 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले की गहन और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया था। भारती तमांग बनाम भारत संघ, 19 में इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक उपयुक्त मामले में, या जब असाधारण परिस्थितियां बनाई गई हैं, तो अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग एस. आई. टी. का गठन करने या जांच को केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित करने और इसकी निगरानी करने के लिए किया जा सकता है, या यहां तक कि आपराधिक मामले की नए सिरे से जांच का आदेश देने के लिए भी किया जा सकता है।

मामले। 21. इस विषय पर पूर्ववर्ती के इस निकाय के साथ, राहत के लिए प्रार्थना की स्थिरता, यह मांग करते हुए कि जांच या तो होनी चाहिए

क्या एस. आई. टी. के गठन के लिए कोई मामला बनाया गया है और उस निर्णय पर असर डालने वाले मामले। 22. शुरुआत में मुझे इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह से पुलिस ने इस जांच से संपर्क किया है, उसकी निष्पक्षता क्या है। 29 अगस्त 2018 को, इस न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य और कार्यवाही में प्रतिवादी के रूप में शामिल अन्य लोगों को नोटिस जारी किए। कुछ ही घंटों में

अदालती सुनवाई के समापन पर पुणे में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया।

18 (2011) 1 एससीसी 560

19 (2013) 15 एस. सी. सी. 578 रोमिला थापर और ओ. आर. एस. वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

संयुक्त पुलिस आयुक्त शिवरजीराव बोधके ने घोषणा की कि पुणे पुलिस के पास इन पांचों के खिलाफ पर्याप्त से अधिक सबूत हैं। जिन व्यक्तियों की पारगमन रिमांड पर इस न्यायालय ने आदेश देते हुए रोक लगा दी थी

उन्हें नजरबंद किया जाए। यह परेशान करने वाला व्यवहार है-संयुक्त आयुक्त ने इस तिरछे तरीके से जवाब देने की मांग की

श्री परमबीर सिंह, एडीजी (कानून और व्यवस्था), महाराष्ट्र के नेतृत्व में पुलिस अधिकारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रों (जिनमें से कई केस डायरी का हिस्सा होने चाहिए) को चुनिंदा रूप से प्रदर्शित किया गया और पढ़ा गया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार उन्हें मीडिया में भी लीक कर दिया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो प्रत्युत्तर के अनुलग्नक आर-2 में एक सीडी के रूप में संलग्न किया गया है और इसे एच. टी. एस. पर अपलोड किया गया हैः // डब्ल्यू. डब्ल्यू. यूट्यूब। कॉम/वॉच? v = PCVKfstx2Qc। 1 सितंबर 2018 को एडीजी (कानून और व्यवस्था) एनडीटीवी पर "ट्रुथ वी हाइप" नामक एक टेलीविजन कार्यक्रम में दिखाई दिए, जिसके दौरान उनके बारे में कहा जाता है कि इस बात से सहमत थे कि उनके द्वारा पढ़े गए पत्र अभी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ फोरेंसिक विश्लेषण के दौर से गुजर रहे थे। कार्यक्रम की सी. डी. को प्रत्युत्तर में अनुलग्नक आर-3 के रूप में संलग्न किया गया है। इसके अलावा, अदालत का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि वर्तमान मामले में गिरफ्तारी का पहला दौर 6 जून 2018 को हुआ था। 8 जून 2018 को पुलिस ने सक्षम अदालत के समक्ष रिमांड की कार्यवाही से कुछ समय पहले मीडिया को एक कथित पत्र जारी किया था।

(जून की गिरफ्तारी में), यह आरोप लगाते हुए कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति प्रधानमंत्री पर हमला करने की साजिश रच रहे थे। 4 जुलाई 2018 को जब गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को पुणे में अदालत के समक्ष पेश किया जाना था, तो सुधा भारद्वाज का एक पत्र सनसनीखेज रूप से एक टेलीविजन चैनल पर प्रसारित किया गया था, जिसमें उन्हें कुछ समूहों की गैरकानूनी गतिविधियों से जोड़ा गया था। एक गंभीर शिकायत

इस तथ्य के बारे में बताया गया है कि इन पत्रों को न तो न्यायालय के समक्ष रखा गया है और न ही पुणे पुलिस द्वारा सीजेएम, फरीदाबाद के समक्ष दायर ट्रांजिट रिमांड आवेदनों में इनका उल्लेख किया गया है।

23. राजेंद्रन चिंगरावेलु बनाम आर. के. मिश्रा, 20 में इस न्यायालय ने जाँच पूरी होने से पहले ही मीडिया के सामने जाँच का विवरण प्रकट करने की पुलिस की प्रवृत्ति की निंदा की। इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" 21. लेकिन घटना के पूरा होने से पहले ही मीडिया को सूचित किए जाने के संबंध में अपीलार्थी की शिकायत

20 (2010) 1 एससीसी 457 [2018] 11 एस. सी. आर.

जाँच, उचित है। जाँच अधिकारी (या तो पुलिस या अन्य विभाग) में जाँच पूरी होने से पहले ही मीडिया को सूचित करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

कि उन्होंने किसी अपराधी या अपराधी को पकड़ लिया है। इस तरह के कच्चे

काल्पनिक जाँच के लिए श्रेय का दावा करने का प्रयास

सफलताओं पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। यहां तक कि जब कोई संदिग्ध आत्मसमर्पण करता है या पूछताछ के लिए आवश्यक व्यक्ति स्वेच्छा से पेश होता है, तो जांच अधिकारियों के लिए मीडिया को यह बताना असामान्य नहीं है कि उस व्यक्ति को काफी जांच या मामले के बाद बहुत प्रयास के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसी तरह, जब कोई स्वेच्छा से अपने पास रखे पैसे की घोषणा करता है, तो मीडिया को सूचित किया जाता है कि बड़ी नकदी जो घोषित नहीं की गई थी, उनकी सतर्क जांच और गहन जाँच से पता चला। एक लंबित जांच में मीडिया को समय से पहले खुलासा या 'रिसाव' न केवल आगे की जांच को खतरे में डालेगा और बाधित करेगा, बल्कि कई बार, वास्तविक अपराधी को कानून से बचने की अनुमति देगा।

(जोर दिया गया)

24. गंभीर चिंता के मामले का यह पहलू। जिस तरह से संयुक्त पुलिस आयुक्त और अतिरिक्त निदेशक पुलिस महानिदेशक (कानून और व्यवस्था), महाराष्ट्र ने चुनिंदा रूप से मीडिया को जांच के कथित विवरण का खुलासा किया है और टेलीविजन चैनलों पर जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह व्यक्त किया है। राजेंद्रन (ऊपर) में अपने 2010 के फैसले में यह न्यायालय इस बढ़ती प्रवृत्ति पर ध्यान देने के लिए विवश था -

जाँच एजेंसियाँ। जांच लंबित रहने के दौरान जनमत को प्रभावित करने के लिए राज्य की जांच शाखा द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग जांच की निष्पक्षता को कम करता है। पुलिस न्यायनिर्णायक नहीं होती है और न ही वे दोषी ठहराती है। वर्तमान मामले में,

मीडिया को पुलिस की जानकारी जांच की प्रक्रिया में शामिल व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को धूमिल करके जनमत में हेरफेर करने का एक स्रोत बन गई है। इसके बाद जो होता है वह दुर्भाग्य से एक परीक्षण है

मीडिया। यह गंभीर चिंता का विषय है कि पुलिस को इस प्रक्रिया के लिए खुद को उधार देना चाहिए। जांच भीमा-कोरेगांव हिंसा की जांच के रूप में शुरू हुई। (पुलिस की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान) यह आरोप लगाते हुए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश रची गई थी, जांच के क्रम को भटकाने की कोशिश की गई। इस तरह का आरोप वास्तव में एक गंभीर आदेश है। इस तरह के आरोपों पर जिम्मेदाराना ध्यान देने की आवश्यकता होती है और पुलिस अधिकारियों द्वारा मीडिया ब्रीफिंग में इस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है। लेकिन वर्तमान सुनवाई के दौरान, रोमिला थापर और ओआरएस का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

सामग्री। विवेकपूर्ण मामले के रूप में, अदालत को संकलन या मामले की डायरी में निहित विवरणों पर ध्यान देने से बचना चाहिए, सिवाय उन राहतों के मूल्यांकन के दौरान व्यापक कारणों का संकेत देने के जो दावा किए गए हैं। महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में यह स्पष्ट किया गया है कि पांच व्यक्तियों की गिरफ्तारी (28 अगस्त 2018 को) "दूसरों से एकत्र की गई सामग्री" पर आधारित थी। यह विज्ञापन जून और जुलाई 2018 के महीनों में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के खिलाफ की गई छापेमारी के दौरान कथित रूप से एकत्र की गई सामग्री को दर्शाता है। काउंटर के पैराग्राफ 26 (जो पहले निकाला गया है) में कहा गया है कि यह सामग्री "स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि वे (i) संघर्ष में भूमिगत होने के लिए कैडरों का चयन करने और उन्हें शामिल करने में शामिल थे" क्षेत्र; (ii) धन जुटाना और वितरित करना; (iii) हथियारों के चयन और खरीद को सुविधाजनक बनाना; (iv) ऐसे हथियारों की दरें तय करना; और (v) भारत में ऐसे हथियारों की तस्करी के मार्गों और तरीकों का सुझाव देना।

कैडरों के बीच वितरण।

26. इसके बाद, यह आरोप लगाया जाता है कि "उनमें से कुछ" (i) "बूबी ट्रैप और दिशात्मक खानों के प्रशिक्षण और बिछाने का सुझाव दिया है"; और (ii) "हैं

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) नामक एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के एक रणनीतिक दस्तावेज के अनुसरण में सशस्त्र विद्रोह के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतिक जानकारी प्रदान करते हुए पाया गया। ए. एस. जी. की सहायता से मैंने संकलन को सावधानीपूर्वक पढ़ा है।

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सामग्री पर गौर करने पर, मैंने पाया कि यह आरोप कि 28 अगस्त 2018 को गिरफ्तार किए गए पांच व्यक्तियों में से प्रत्येक जवाबी हलफनामे (ऊपर निकाले गए) के पैराग्राफ 26 में निर्धारित प्रकृति की गतिविधियों में शामिल पाया गया है, सच्चाई के साथ स्वतंत्रता ले रहा है। एक प्रतिबंधित संगठन के दर्शन, इसकी नीतियों और इसके गैरकानूनी कार्यान्वयन में अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली के खिलाफ सामान्य आरोप

गतिविधियाँ एक चीज हैं। इसे नामित [2018] 11 एस. सी. आर. की विशिष्ट गतिविधियों से जोड़ना।

व्यक्ति एक अलग मामला है। इस स्तर पर, उस निवेदन पर ध्यान देना आवश्यक है जिसमें सुधा भारद्वाज द्वारा कॉमरेड प्रकाश को लिखे गए एक अनिर्दिष्ट पत्र के संबंध में आग्रह किया गया है, जिसे कथित रूप से मीडिया में भी वितरित किया गया था। पत्र की प्रामाणिकता के संबंध में एक गंभीर विवाद है, जिसमें दिनांकित होने के अलावा, ई-मेल हेडर सहित कोई विवरण नहीं है। अदालत को इस दलील के समर्थन में एक बयान सौंपा गया है कि यह पत्र एक मराठी भाषी व्यक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से गढ़ा गया है क्योंकि

17 जगह-जगह, इसमें मराठी के विशिष्ट रूपों का उपयोग करते हुए देवनागरी में लिखे गए शब्दों के संदर्भ हैं। यह आग्रह किया गया है कि सुधा भारद्वाज, जो महाराष्ट्र से संबंधित नहीं हैं और मराठी भाषी नहीं हैं, संभवतः व्याकरण या पते के अनिवार्य रूप से मराठी रूपों का उपयोग करते हुए देवनागरी में एक पत्र नहीं लिख सकती थीं। हमें इस स्तर पर इन पहलुओं में गहराई से जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे एक निष्पक्ष जांच के लिए मामले हैं।

27. उन परिस्थितियों में से एक जो निश्चित रूप से सहन करनी चाहिए

जांच एजेंसी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की निष्पक्षता और निष्पक्षता दो पंच गवाहों के आयात के संबंध में है पुणे से, जब गिरफ्तारियाँ की गईं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 बी गिरफ्तारी करते समय एक स्वतंत्र गवाह के महत्व पर जोर देती है। संहिता की धारा 41 बी निम्नलिखित प्रावधान करती है:

" प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करते समय

(क) अपने नाम की सटीक, दृश्यमान और स्पष्ट पहचान रखें। जो आसानी से पहचान करने में मदद करेगा।

(ख) गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करना जो होगा - (i) कम से कम एक गवाह द्वारा सत्यापित, जो एक सदस्य है

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का परिवार या एक सम्मानित सदस्य

उस इलाके की जहाँ गिरफ्तारी की जाती है;

((ख) गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित; और

(ग) गिरफ्तार व्यक्ति को सूचित करें, जब तक कि ज्ञापन सत्यापित न हो।

अपने परिवार के किसी सदस्य द्वारा, कि उसे कोई रिश्तेदार रखने का अधिकार है या उसके द्वारा नामित किसी मित्र को उसकी गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया जाए।

(जोर दिया गया)

वर्तमान मामले में दो पंच गवाह पुणे नगर निगम के कर्मचारी हैं। इस न्यायालय के समक्ष यह विवादित नहीं है कि वे गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम के हिस्से के रूप में यात्रा की।

रोमिला थापर और ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

28. यह डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 2 1 में था कि इस न्यायालय ने गिरफ्तारी के सभी मामलों में पालन की जाने वाली आवश्यकताओं को निर्धारित किया, जो

इसमें निम्नलिखित शामिल थेः

" (2) कि गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करेगा और ऐसा

ज्ञापन को कम से कम एक गवाह द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जो या तो किसी सम्मानित व्यक्ति के गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य हो सकता है। जिस स्थान से गिरफ्तारी की गई है। इसे गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित भी किया जाएगा और इसमें समय और समय शामिल होगा।

गिरफ्तारी की तारीख "। " "

इस न्यायालय ने कहा कि उसने संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 (1) से जो आवश्यकताएं व्यक्त की थीं, उनका सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है और ऐसा न करने पर न्यायालय की अवमानना के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी।

29. एक गंभीर आरोप है कि गिरफ्तारी असहमति को दबाने और उन पांच व्यक्तियों को प्रताड़ित करने के प्रयास से प्रेरित है जिन्होंने भेदभाव और मानवाधिकारों के उल्लंघन का सामना करने वाले व्यक्तियों का पीछा किया है। वर्तमान मामले में पहुँचते समय, न्यायालय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गैरकानूनी कृत्यों का पता लगाने के लिए आपराधिक जाँच को विफल करने की आवश्यकता नहीं है। समान रूप से, न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में सतर्क रहना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुमानों की वेदी पर स्वतंत्रता का त्याग नहीं किया जाता है। जो व्यक्ति ऐसे कारणों का दावा करते हैं जो सत्ता के क्षेत्रों के लिए अलोकप्रिय हो सकते हैं, वे अभी भी उन स्वतंत्रताओं के हकदार हैं जिनकी संविधान द्वारा गारंटी दी गई है। असहमति जीवंत लोकतंत्र का प्रतीक है। अलोकप्रिय मुद्दों को उठाने वालों को प्रताड़ित करके विपक्ष की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता है। हालाँकि, जहाँ असहमति की अभिव्यक्ति हिंसा के लिए उकसाने या लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के विध्वंस के निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करती है गैरकानूनी साधनों का सहारा लेते हुए, असहमति केवल राय की अभिव्यक्ति नहीं रह जाती है। कानून का उल्लंघन करने वाली गैरकानूनी गतिविधियों से उसी के अनुसार निपटा जाना चाहिए। जिस पृष्ठभूमि में पहले कहा गया है, इस दलील को स्वीकार करना अनुचित होगा कि पुलिस द्वारा जांच को बिना किसी सुरक्षा के आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए।

जाँच एजेंसी की निष्पक्षता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। जांच के दायरे में आने वालों पर आरोप लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एजेंसी का उपयोग करने में पुणे पुलिस का आचरण एक निष्पक्ष जांच की आवश्यकता को मजबूत करता है। जब संयुक्त पुलिस आयुक्त

और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने उन व्यक्तियों के खिलाफ सार्वजनिक मीडिया में आक्षेप लगाए जिनके आचरण की अभी भी जांच चल रही है, और न्यायिक मंच के समक्ष लंबित कार्यवाही की अवहेलना करते हुए, यह सुनिश्चित करना इस न्यायालय का कर्तव्य और दायित्व है कि

आपराधिक न्याय पटरी से नहीं उतरता है। मैं यह पूरी तरह से स्पष्ट करता हूं कि इस आदेश में कुछ भी जांच के गुण-दोष पर किसी भी अवलोकन के रूप में नहीं माना जाएगा जो होने वाली है। मैं जो निर्देश देने का प्रस्ताव कर रहा हूं, उसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार सुनिश्चित हो।

जो आपराधिक गलत कार्य के आरोपों का सामना कर रहा है, वह यह है कि जांच प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। यह अनुच्छेद 14 के तहत मनमानेपन और जीवन के अधिकार की गारंटी का एक अभिन्न अंग है। और अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यदि यह न्यायालय हमारे द्वारा बनाए गए सिद्धांतों पर कायम नहीं रहता है, तो हम स्वतंत्रता के लिए एक भावपूर्ण माँग देख सकते हैं।

30. बहुमत के निर्णय ने कुछ निर्णयों पर भरोसा किया है कि वर्तमान मामले में ऐसी याचिका बनाए रखने योग्य नहीं है और

पाँच व्यक्तियों के कहने पर एस. आई. टी. के गठन की प्रार्थना

जाँच के तहत मनोरंजन नहीं किया जा सकता है। नर्मदा बाई बनाम गुजरात राज्य, 22 में याचिकाकर्ता ने एक रिट जारी करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की, जिसमें सीबीआई को एक कथित फर्जी मुठभेड़ से संबंधित मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया, जिसमें उनके बेटे को मार दिया गया था। मुख्य मुद्दा यह था

क्या राज्य जांच एजेंसी द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के बाद,

यदि पहले की जाँच स्थापित प्रक्रिया के अनुसार नहीं की गई थी, तो इस न्यायालय को उन्हीं मुद्दों पर जाने के लिए सी. बी. आई. जैसी एक स्वतंत्र विशेष एजेंसी नियुक्त करने से रोक दिया गया था। तथ्यात्मक निर्धारण यह किया जाना था कि क्या याचिकाकर्ता ने जांच सी. बी. आई. को सौंपने का मामला बनाया था।

31. जबकि इस न्यायालय ने कहा कि "यह सामान्य कानून है कि अभियुक्त व्यक्तियों की जांच एजेंसी की नियुक्ति के मामले में कोई भूमिका नहीं है" और यह कि "अभियुक्त व्यक्ति यह नहीं चुन सकते कि किसके बारे में।

जाँच एजेंसी को किए गए कथित अपराध की जाँच करनी चाहिए

अदालत ने यह भी कहा कि रिपोर्टों और गुजरात राज्य के पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई जांच में "बड़ी और विभिन्न विसंगतियां" थीं और राज्य की जांच एजेंसी द्वारा दायर आरोप पत्र को "उचित दिशा में नहीं चलाया जा सकता था"। इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि भले ही

22 (2011) 5 एस. सी. सी. 79 रोमिला थापर और ओ. आर. एस. वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

आरोप-पत्र दायर किया गया था, अदालत के संज्ञान में लाई गई परिस्थितियों को देखते हुए, जांच में गुजरात राज्य के पुलिस अधिकारियों की भागीदारी "अवांछनीय" थी। इस प्रकार, "न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने और जनहित में", सी. बी. आई. को जाँच का प्रभार संभालने का निर्देश दिया गया। 32. यह मामला मेरे इस विचार का समर्थन करता है कि न्याय के हित में, और विशेष रूप से जब जांच के संबंध में गंभीर संदेह हैं

ऐसा किया जा रहा है, यह न केवल अनुमेय है, बल्कि यह सुनिश्चित करना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है कि जांच एक विशेष जांच दल या एक विशेष जांच एजेंसी द्वारा की जाए ताकि न्याय से समझौता न हो।

33. संजीव राजेंद्र भट्ट बनाम भारत संघ में, 23 याचिकाकर्ता, जो एक आई. पी. एस. अधिकारी थे, ने इस न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की जिसमें गुजरात पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज दो प्राथमिकियों की जांच के लिए एक एस. आई. टी. की नियुक्ति। मामले के तथ्यों पर, यह माना गया कि कथित रूप से झूठे हलफनामे और एक ईमेल खाते की कथित हैकिंग से संबंधित मामले की प्रकृति इतनी व्यापक नहीं थी कि एस. आई. टी. के गठन की आवश्यकता हो। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता साफ हाथों के साथ अदालत में नहीं आया था और "अशुद्ध हाथों" के साथ अदालत में आने वाले व्यक्ति को कोई राहत नहीं दी जा सकती थी। ये तथ्य विशिष्ट विशेषताएँ थीं। मैंने पहले इस न्यायालय के स्थापित उदाहरणों पर चर्चा की है जो उन परिस्थितियों का संकेत देते हैं जिनमें यह न्यायालय एस. आई. टी. का गठन कर सकता है।

34. ई शिवकुमार बनाम भारत संघ, 24 में याचिकाकर्ता को नामित किया गया था।

तंबाकू और/या निकोटीन युक्त पान मसाला और गुटका के अवैध निर्माण और बिक्री के संबंध में जांच की जा रही थी। याचिकाकर्ता ने आपराधिक मामले की जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित करने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी। हममें से एक (खानविलकर, जे.), जिन्होंने इस पीठ की ओर से निर्णय लिखा था, ने कहाः

" उच्च न्यायालय ने सभी मुद्दों पर पूरी तरह से विचार किया है और विचाराधीन अपराध की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट होने के कारण, जांच को सी. बी. आई. को स्थानांतरित करने के लिए अनिवार्य रूप से एक रिट जारी की है। 99 25 "

23 (2016) 1 एस. सी. सी. 1 24 (2018) 7 एस. सी. सी. 365 25 आई. बी. आई. डी., पैरा 5 [2018] 11 एस. सी. आर.

उच्च न्यायालय के फैसले को निम्नलिखित आधार पर बरकरार रखा गया थाः

" ..... निष्पक्षता सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में प्रश्न और

अपराध की निष्पक्ष जांच, जिसके तम्बू नहीं थे

तमिलनाडु राज्य तक सीमित लेकिन उससे आगे निकल गया

राज्य के साथ-साथ केंद्र सरकार के अधिकारियों ने, अब सीधा जवाब दिया गया है। मस्तिष्क में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए

सी. बी. आई. के लिए इस तरह का अपराध। इस प्रकार देखा जाए तो इसमें कोई दुर्बलता नहीं है।
विवादित निर्णय में उच्च न्यायालय द्वारा पहुँचा गया निष्कर्ष,

जाँच सी. बी. आई. को सौंपने के लिए "। 26

न्यायनिर्णायक के रूप में इस न्यायालय के कर्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी कहा गयाः

" यह कानून की अदालत का बाध्य कर्तव्य है कि वह सच्चाई को बनाए रखे और

सत्य का अर्थ है छल की अनुपस्थिति, धोखाधड़ी की अनुपस्थिति और एक अपराधी में

एक वास्तविक और निष्पक्ष जांच, न कि एक जांच

जो खुद को एक नकली के रूप में प्रकट करता है। यह स्वीकार्य नहीं है। होना ही चाहिए।

यह ध्यान में रखा गया है कि निष्पक्ष और सत्यवादी जाँच

अनिवार्य है। यदि इस संबंध में कोई गंभीर संदेह उत्पन्न होता है जाँच, क्या एक संवैधानिक अदालत को अपने हाथ बंद करने चाहिए और

इस प्रस्ताव को स्वीकार करें कि जैसे ही मुकदमा शुरू हुआ है, मामला

क्या यह इससे परे है? ..... " 27

(जोर दिया गया)।

उपरोक्त टिप्पणियां नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में इस न्यायालय के कार्य का एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक हैं। इन अधिकारों की रक्षा विशेष रूप से तब की जानी चाहिए जब ऐसी संभावना हो कि स्थिति लेने में विफलता से न्याय से इनकार हो सकता है।

35. डिवाइन रिट्रीट सेंटर बनाम केरल राज्य का मामला 28

जांच के लिए निर्देश की मांग करने वाली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक अनाम याचिका की स्थिरता से संबंधित है। बेनामी याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 के तहत स्वतः संज्ञान लिया गया था।

दंड प्रक्रिया संहिता और आपराधिक मामले की जांच को जांच अधिकारी से दूर करने का निर्देश दिया गया था और

26 उदाहरण के लिए, पैरा 9 में

27 उदाहरण के लिए, पैरा 13 में

28 (2008) 3 एस. सी. सी. 542 रोमिला थापर और ओ. आर. एस. वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

एस. आई. टी. को सौंपा गया। इस मामले में केंद्रीय प्रश्न का दायरा था

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय को प्रदत्त अंतर्निहित शक्ति। यह माना गया था कि:

किसी भी अपराध की जाँच करने के लिए अपनी पसंद की कोई भी एजेंसी विशेष रूप से एक नामित न्यायाधीश को संबोधित अनाम याचिकाओं के आधार पर। इस तरह के संचार नहीं हो सकते हैं

कानून को लागू करने के लिए स्वतः संज्ञान कार्यवाही में परिवर्तित किया गया। न तो अभियुक्त और न ही शिकायतकर्ता या मुखबिर को किसी अपराध की जाँच के लिए अपनी जाँच एजेंसी चुनने का अधिकार है।

जिसमें उसकी रुचि हो सकती है। " (जोर दिया गया)

न्यायालय ने अनुच्छेद 226 के संदर्भ में जनहित याचिका की स्थिरता पर निम्नलिखित टिप्पणी की:

" यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक जनहित याचिका पर संवैधानिक अदालतों द्वारा केवल एक प्रामाणिक वादी के कहने पर ही विचार किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने समान रूप से और लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि जो व्यक्ति जनहित याचिकाओं के मामलों में न्यायिक निवारण के लिए न्यायालय का रुख करता है, उसे न्याय के उद्देश्य को सही साबित करने के लिए ईमानदारी से काम करना चाहिए, न कि किसी व्यक्तिगत लाभ या निजी लाभ या राजनीतिक प्रेरणा या अन्य अप्रत्यक्ष विचार के लिए।

यह भी देखा गया कि -

" उच्च न्यायालय अपनी किसी भी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अनाम याचिकाओं के बल पर एक विशेष जांच दल का गठन करके जांच का निर्देश नहीं दे सकता है। 30

36. इन टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि इस न्यायालय के साथ जो नापसंद पाया गया वह यह था कि उच्च न्यायालय ने एक अनाम याचिका पर विचार किया था

एस. आई. टी. गठित करना। उपरोक्त मामले के तथ्य वर्तमान मामले से अलग हैं। जनता की रखरखाव क्षमता पर की गई टिप्पणियाँ

ब्याज मुकदमेबाजी केवल वर्तमान मामले को समर्थन देती है। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता गुमनाम नहीं हैं। ऐसा कोई तर्क नहीं दिया गया है कि याचिकाकर्ता व्यक्तिगत लाभ या राजनीतिक लाभ से प्रेरित हैं

विचार करें।

29 इबिद, पैरा 59 पर

30 उदाहरण के लिए, पैरा 50 [2018] 11 एस. सी. आर. में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

37. हाल ही में 14 सितंबर 2018 को, विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने तीन न्यायाधीशों की वर्तमान पीठ की ओर से बोलते हुए एक फैसला सुनाया

एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक को 50 लाख रुपये का मुआवजा देना, जिसे सी. बी. आई. द्वारा आगे की जांच में गलत तरीके से फंसाया गया और हिरासत में पूछताछ के अधीन पाया गया। यह इस आरोप पर था कि उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के आधिकारिक रहस्यों को उजागर किया था। विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने कहाः

" ..... इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अपीलार्थी, जो राष्ट्रीय प्रतिष्ठा रखने वाला एक सफल वैज्ञानिक है, को मजबूर किया गया है

भारी अपमान सहना पड़ता है। किसी को भी गिरफ्तार करने और उसे पुलिस हिरासत में रखने के लिए राज्य पुलिस के लापरवाह रवैये ने अपीलार्थी को बदनाम कर दिया है। एक व्यक्ति की गरिमा जब उसे मनो-रोग संबंधी उपचार दिया जाता है तो वह हैरान हो जाता है। एक मनुष्य न्याय के लिए रोता है जब उसे लगता है कि इस असंवेदनशील कार्य ने उसके आत्म-सम्मान को सूली पर चढ़ाया है। यह सार्वजनिक कानून उपचार के तहत मुआवजे का अनुदान देता है। हम पूरी तरह से सचेत हैं कि अनुदान के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर किया गया है

क्षतिपूर्ति। यह संवैधानिक अदालत को सार्वजनिक कानून का सहारा लेते हुए मुआवजा देने से नहीं रोकेगा। अदालत ऐसा नहीं कर सकती।

अपीलार्थी द्वारा सामना किए गए गलत कारावास, दुर्भावनापूर्ण अभियोजन, अपमान और मानहानि की दृष्टि खो दें।

यह तथ्य कि गलत गिरफ्तारी के लगभग 24 साल बाद मुआवजे के भुगतान का आदेश दिया गया था, इस बारे में एक गंभीर अनुस्मारक है कि स्वतंत्रता कितनी कमजोर हो सकती है और गैरकानूनी तरीके से की गई गलतियों को सुधारने में कठिनाई हो सकती है।

गिरफ्तारी।

38. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि मानवाधिकारों से वंचित होना व्यक्ति की गरिमा को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

क्षतिपूर्ति भी पर्याप्त प्रतिदान नहीं हो सकता है। यह विषय किरण बेदी बनाम जांच समिति, 32 दिल्ली न्यायिक सेवा संघ बनाम गुजरात राज्य, 3 3 जोगिंदर कुमार बनाम यूपी 34 राज्य और डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में इस न्यायालय के फैसलों में बार-बार प्रतिध्वनित होता है। डी. के. बसु में, इस न्यायालय ने संवैधानिक योजना में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व को स्पष्ट कियाः

31 एस नंबी नारायणन बनाम सिबी मैथ्यूज, (2018) 11 स्केल 171 32 (1989) 1 एससीसी 494

33 (1991) 4 एस. सी. सी. 406

34 (1994) 4 एससीसी 260

3.5 (1997) 1 एस. सी. सी. 416 रोमिला थापर और ओ. आर. एस. वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

" 17. भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का गौरवपूर्ण स्थान है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि "किसी भी व्यक्ति को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।

कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसका जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इस प्रकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता संविधान के तहत एक पवित्र और पोषित अधिकार है। अभिव्यक्ति "जीवन या

व्यक्तिगत स्वतंत्रता "को मानव गरिमा के साथ जीने के अधिकार को शामिल करने के लिए माना गया है और इस प्रकार इसमें राज्य या उसके राज्य द्वारा यातना और हमले के खिलाफ गारंटी भी शामिल होगी।

कार्यकर्ता "।

न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि शिकायत की वास्तविकता और प्रामाणिकता के बारे में जांच के बाद उचित संतुष्टि के बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती हैः

" 20. जोगिंदर कुमार बनाम में यह न्यायालय। उत्तर प्रदेश राज्य [(1994) 4 एस. सी. सी. 260: 1994 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1172] (जिसे हममें से एक, अर्थात्, आनंद, जे. एक पार्टी थी) के दुरुपयोग की गतिशीलता माना जाता है

गिरफ्तारी की पुलिस की शक्ति और रायः

" गिरफ्तारी नहीं की जा सकती क्योंकि ऐसा करना पुलिस अधिकारी के लिए वैध है। गिरफ्तार करने की शक्ति का अस्तित्व एक बात है। इसके प्रयोग का औचित्य बिल्कुल अलग है। ..... गिरफ्तारी की वास्तविकता और प्रामाणिकता के बारे में कुछ जांच के बाद उचित संतुष्टि के बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए।

व्यक्ति की संलिप्तता और गिरफ्तारी की आवश्यकता दोनों के बारे में शिकायत और उचित विश्वास। किसी व्यक्ति को अस्वीकार करना

उसकी स्वतंत्रता एक गंभीर मामला है।

9999

39. इस न्यायालय का एक संवैधानिक दायित्व है, जहां उसका ध्यान, वर्तमान जैसे मामले में, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उचित निर्देश जारी करने के लिए एक निष्पक्ष जांच प्रक्रिया के पटरी से उतरने की वास्तविक संभावना की ओर आकर्षित किया गया है।

40. इसलिए, मेरा विचार है कि हालांकि जांच को विफल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यह एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति के लिए एक उचित मामला है।

जाँच दल। महाराष्ट्र पुलिस ने वर्तमान मामले में निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच एजेंसी के रूप में काम किया है या नहीं, इस पर संदेह पैदा करने के लिए परिस्थितियां हमारे ध्यान में लाई गई हैं। एक स्वतंत्र जाँच की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए न्यायालय के समक्ष पर्याप्त सामग्री रखी गई है।

41. इसलिए, इस न्यायालय के उदाहरण का अनुसरण करते हुए, जिस पर पहले चर्चा की गई है, मेरा दृढ़ विचार है कि एक विशेष जांचकर्ता [2018] 11 एस. सी. आर.

टीम नियुक्त की जानी चाहिए। जाँचक निगरानी एहि न्यायालय द्वारा कयल जायत। विशेष जाँच दल शुरू में मासिक आधार पर इस न्यायालय को आवधिक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। 36 अंतरिम आदेश

29 अगस्त 2018 को इस न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश तीन सप्ताह की और अवधि के लिए जारी रहेगा, जिसके भीतर उक्त पांच व्यक्तियों या उनमें से किसी एक या अधिक के लिए सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार होगा। मैं निर्देश दूंगा कि विशेष जांच दल के गठन पर आदेश के लिए याचिका को तीन दिनों के बाद सूचीबद्ध किया जाए। इन शर्तों में एक आदेश होगा।

याचि

का का निपटारा किया गया।

दिव्या पांडे 36 जैसा कि मैं अल्पसंख्यकों के लिए कहता हूं, मैंने उन कर्मियों के नामों का संकेत नहीं दिया है जो एसआईटी का गठन करेंगे। यदि वह अवसर उत्पन्न होता है, तो इस न्यायालय से उचित निर्देश लेने की स्वतंत्रता दी जाती है।